Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

123rd MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
Held on 04.10.2019

MINUTES

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की **प्रबन्ध मण्डल** की **123वीं बैठक** दिनांक **04 अक्टूबर, 2019** को प्रातः 11:00 बजे विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक सूचना **परिशिष्ठ–1** एवं बैठक में उपस्थित होने वाले वाले सदस्यों की सूची **परिशिष्ठ–2** पर संलग्न है।

बैठक के प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति व अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

बिन्दु सं 1 **प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन तथा सर्कुलेशन दि. 25.06.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुपालना प्रतिवेदन तथा सर्कुलेशन दि. 25.06.2019 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन तथा सर्कुलेशन दि. 25.06.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 2 **विद्या–परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण तथा सर्कुलेशन्स में लिए गये निर्णयों का अनुमोदनः–**

विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.09.2018, 11.06.2019, 17.07.2019 तथा 05.08.2019 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त दिनांक 08.03. 2019 व 13.08.2019 को भी सर्कुलेशन्स के माध्यम से विद्या–परिषद द्वारा लिए गये निर्णय भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा विद्या परिषद के उक्त सभी बैठकों में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों में सदन को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। सदस्य सचिव द्वारा उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरणों के महत्वपूर्ण निर्णयों को पढकर सदन को सुनाया गया। विचार–विमर्श उपरान्त विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.09.2018, 11.06.2019, 17.07.2019, 05. 08.2019 के कार्यवाही विवरण तथा दिनांक 08.03.2019 व 13.08.2019 को सर्कुलेशन्स के माध्यम से लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रबन्ध मण्डल की बैठक से न्यूनतम 7 दिवस पूर्व एजेण्डा (मय संलग्नक) आवश्यक रूप से समस्त सदस्यों को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।**

सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क. प.3(4)वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 29.04.2019 के माध्यम से समस्त विश्वविद्यालयों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं/प्रतियोगी प्रकृति की प्रवेश परीक्षाओं से होने वाली सम्पूर्ण आय राजकोष में जमा करवाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान के माध्यम से उक्त राशि में से 50 प्रतिशत की राशि तक विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय को वर्तमान में यू.जी.सी., भारत सरकार इत्यादि से भी विश्वविद्यालय को कोई गेप फण्डिंग/वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। विचार–विमर्श उपरान्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के उपरोक्त परिपत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं से प्राप्त होने वाले शुल्क की आय को राजकोष में जमा करवाये जाने के प्रावधान से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को मुक्त रखे जाने बाबत् राज्य सरकार को निवेदन किया जाना उचित होगा। वर्तमान में राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं/प्रतियोगी प्रकृति की प्रवेश परीक्षाओं से होने वाली आय की 50% राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के निवेदन पर भविष्य में उक्त परिपत्र के प्रावधानों से विश्वविद्यालय को शिथिलता प्रदान नहीं की जाती है तो विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से गेप–फन्डिंग प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव भेजा जावे। उक्त कथन पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

बिन्दु सं 3 निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–

निरीक्षण मण्डल की बैठक दि. 20.07.2018, 29.10.2018, 17.11.2018, 19.11.2018, 01.12.2018, 23.02.2019, 30.03.2019, 04.04.2019, 29.05.2019, 12.07.2019 एवं 30.08.2019 के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उक्त बैठकों के संबंधित निम्नलिखित निर्णयों के संबंध में प्रबन्ध मण्डल पर चर्चा भी की जानी है :–

1. **निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 23.02.2019 के प्रस्ताव संख्या 05 में लिये गये निर्णय के कम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध** महाविद्यालय सेन्ट फ्रांसिस हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अजमेर द्वारा सचांलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के महाविद्यालय का सही नाम सेन्ट फ्रान्सिस हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग है सवहन से भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली की स्वीकृति में सेन्ट फ्रान्सिस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लिखा गया है। इस सम्बन्ध में संस्था सचिव द्वारा 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस संबंध में शपथ पत्र दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी में उल्लेखित महाविद्यालय नाम "सेन्ट फ्रांसिस हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग" ही सही है तथा भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली में भी इसे संशोधित करवा लिया जायेगा।

   इस संबंध में प्रकरण को निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 23/02/2019 में रखा गया । जिसमें सदस्यों द्वारा निम्न निर्णय लिया गया।

   " महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी में महाविद्यालय का नाम "सेन्ट फ्रान्सिस हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग" होने के कारण संस्था का यही नाम मानते हुए संस्था को "सेन्ट फ्रान्सिस हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग" के नाम से सत्र 2018–19 का संबद्वता पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। "

2. **निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 23.02.2019 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु 6 के संबंध में डॉ. जोगेन्द्र शर्मा, डीन नर्सिंग से प्राप्त ई–मेल दिनांक 13.03.2019 के संबंध में:–**

   दिनांक 23.02.2019 को आयोजित हुई निरीक्षण मण्डल की बैठक के निर्णय सं. 6 के संबंध में डॉ. जोगेन्द्र शर्मा, डीन नर्सिंग द्वारा निम्नानुसार आपत्ति जाहिर की गई है :–

   आरयूएचएस द्वारा जारी आईटम नम्बर 6 वास्ते बोर्ड ऑफ इन्स्पेक्शन की मिटिंग की मिनिट्स का अवलोकन किया गया।

   "इसमें जो पैनल प्रस्तुत किया गया उसका आधार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 23/7/2015 के कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 14 को बनाया गया है। यह अवलोकनीय है कि जो पैनल प्रेषित किया गया है उसमें समग्र दृष्टिकोण से विचार न कर सीमित दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

   अवलोकनीय है कि आज की स्थितियां वर्ष 2015 की परिस्थतियों से नितान्त भिन्न है तत् समय पात्र निरीक्षकों का अभाव था जबकि वर्तमान में लगभग 70 पात्र निरीक्षक राजकीय सेवा में उपलब्ध है। वर्तमान में आरयूएचएस द्वारा समस्त मेडिकल कॉलेज एवं डेन्टल कॉलेज में भी राजकीय सेवा में कार्यरत को ही निरीक्षक लगाया जाता है। उचित होगा कि कार्य की महत्वता व उतरदायित्वता को देखते हुए इस नीतिगत फैसले का अनुमोदन उच्च स्तर अर्थात बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंव महामहिम राज्यपाल महोदय से

प्राप्त किया जावें। अतः कार्य की अत्यावश्यकता के मध्येनजर निम्न पैनल प्रेषित किया जा रहा है'

डीन नर्सिंग से प्राप्त उपरोक्त आपत्ति के संबंध में निरीक्षण मण्डल की अग्रिम बैठक दि. 30.03.2019 में चर्चा की जाकर यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही /निर्णय हेतु प्रकरण को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जावे।

निर्णय : **निरीक्षण मण्डल की बैठक दि. 20.07.2018, 29.10.2018, 17.11.2018, 19.11.2018, 01.12.2018, 23.02.2019, 30.03.2019, 04.04.2019, 29.05.2019, 12.07.2019 एवं 30.08.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। उक्त बैठकों के अतिरिक्त दिनांक 28.09.2019 व 03.10.2019 की निरीक्षण मण्डल के बैठक कार्यवाही विवरणों का भी अनुमोदन किया गया।**

चर्चा उपरान्त निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 23.02.2019 के प्रस्ताव संख्या 05 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन किया गया। निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 23.02.2019 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु 6 के संबंध में डॉ. जोगेन्द्र शर्मा, डीन नर्सिंग से प्राप्त राय/टिप्पणी पर चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त डीन–नर्सिंग द्वारा दी गयी राय के अनुसार नर्सिंग संकाय के निरीक्षकों के पेनल में केवल राजकीय महाविद्यालयों की फैकल्टी को ही सम्मिलित किये जाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।

बिन्दु सं 4 परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन :–

परीक्षा समिति की बैठक दि. 16.10.2018, 22.10.2018, 01.12.2018, 29.01.2019, 13.02.2019, 17.07.2019 तथा 19.08.2019 के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **बैठक में उपस्थित परीक्षा नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दि. 16.10.2018, 22.10.2018, 01.12.2018, 29.01.2019, 13.02.2019, 17.07.2019 तथा 19.08.2019 के कार्यवाही विवरण के मुख्य–मुख्य निर्णयों से सदन को अवगत कराया गया। विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त बैठक कार्यवाही विवरणों को अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 5 विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–

विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 19.11.2018, 22.03.2019, 27.03.2019, 29.03.2019, 14.06.2019, 23.07.2019 एवं 24.07.2019 के बैठक कार्यवाही विवरण का प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **बैठक में उपस्थित परीक्षा नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 19.11.2018, 22.03.2019, 27.03.2019, 29.03.2019, 14.06.2019, 23.07.2019 एवं 24.07.2019 के कार्यवाही विवरण के मुख्य–मुख्य निर्णयों से सदन को अवगत कराया गया। विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त बैठक कार्यवाही विवरणों को अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 6 वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदनः–

वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **बैठक में उपस्थित वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 के कार्यवाही विवरण के मुख्य–मुख्य निर्णयों से सदन को अवगत कराया गया। विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त बैठक कार्यवाही विवरणों को अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 7 RUHS Ph.D. Regulations, 2017 के अनुमोदन के संबंध में :–

विश्वविद्यालय के पी.एच.डी. रेगुलेशन्स, 2017 का विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.09.2018 (Agenda-2) में अनुमोदन किया जा चुका है। विद्या–परिषद द्वारा अनुमोदित उक्त रेगुलेशन्स प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है जिन्हें तदानुपरान्त नोटिफाई किया जाना है।

निर्णय : विचार–विमर्श उपरान्त विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.09.2018 (Agenda-2) की अनुशंषा/अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय के पी.एच.डी. रेगुलेशन्स, 2017 का अनुमोदन किया गया। उक्त रेगुलेशन्स के संबंध में विद्या–परिषद की अन्य बैठक दिनांक 11.06.2019 में लिए गये निर्णयों के अनुसार भी आवश्यक कार्यवाही/संशोधन किये जाने का निर्णय भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया। सदन को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त रेगुलेशन्स में यू.जी.सी. द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की गई है।

बिन्दु सं 8 विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सत्र 2018–19 की कार्यात्तर स्वीकृति के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अनुसार तैयार विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सत्र 2018–19 राज्य सरकार को प्रेषित की गई थी। वार्षिक रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सत्र 2018–19 की कार्यात्तर स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अनुसार प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जावे।**

बिन्दु सं 9 राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय सेवा नियमों हेतु गठित कमेटी द्वारा यथा संशोधित विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवा नियमों पर प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में:–

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.8(5)डी.एम.ई./2019 जयपुर दिनांक 08.07.2019 के क्रम में विश्वविद्यालय सेवा नियमों हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 18.09.2019 को विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र में कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप आवश्यक संशोधन कर यथा संशोधित प्रारूप कमेटी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कमेटी द्वारा अनुमोदित यथा संशोधित सेवा नियमों को विश्वविद्यालय सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त प्रबन्ध मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृति के अध्यधीन विश्वविद्यालय के पत्रांक 12556 दिनांक 19.09.2019 के द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाया गया।
अतः राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप कमेटी द्वारा यथा संशोधित विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवा नियमों प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.8(5)डी.एम.ई./2019 जयपुर दिनांक 08.07.2019 के अनुसार सेवा नियमों हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 18.09.2019 में "Rajasthan University of Health Sciences Employees (Recruitment and Promotions) Rules, 2019" में किये गये संशोधनों का प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्यात्तर अनुमोदन किया गया। बैठक में उपस्थित सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार एवं अति. मुख्य सचिव (वित्त), राज. सरकार के प्रतिनिधि सदस्य से निवेदन किया गया कि राज्य सरकार के स्तर से यथाशीघ्र उक्त नियमों को अनुमोदन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त नियमों में राज्य सरकार के स्तर से यदि कोई संशोधन/परिवर्तन आवश्यक समझा जाता है तो तदानुसार ही संशोधन वि.वि. के प्रशासनिक स्तर से ही कराते हुए संशोधित नियमों का कार्योत्तर अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल से कराया जाना उचित होगा।**

सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा यह कहा गया कि आरक्षण के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. के पत्रांक F.1-5/2006(SCT) दि. 08.03.2019 के संदर्भ में उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प. 18(2)शिक्षा–4/ 2014 जयपुर दि. 02.08.2019 के अनुसार विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि एम्स व यू.जी.सी. के अनुसार रोस्टर तैयार करते हुए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान सम्पूर्ण विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए किया जावेगा।

बिन्दु सं 10 राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक नवीन चिकित्सालय हेतु स्वीकृत नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में:–

विश्वविद्यालय के पत्रांक 20064 दिनांक 03.01.2019 के द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक नवीन चिकित्सालय हेतु स्वीकृत नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग कार्मिकों को पदस्थापित किये जाने हेतु निदेशालय से अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार का पत्रांक 3142 दिनांक 05.07.2019 प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार के स्तर से नियमित कार्मिकों से भरे जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में विश्वविद्यालय को Undertaking भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. भविष्य में उक्त रिक्त पदों को आपके द्वारा किसी अन्य भर्ती/अन्य माध्यम से नही भरा जा सकेगा।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित भर्ती किये गये कार्मिकों का नियमित वेतन/अन्य भत्ते आपके स्तर से भुगतान/आहरण किया जायेगा।
3. उक्त पदों को निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार के स्तर से भर्ती किये गये कार्मिकों का सभी प्रकार का नियंत्रण निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का रहेगा।

इस क्रम में उल्लेख है कि उक्त बिन्दु संख्या 02 के संबंध में विश्वविद्यालय पर पड़ने वाले वित्तीय भार के संबंध में विश्वविद्यालय लेखा शाखा से प्राप्त टिप्पणी अनुसार 100 नर्स ग्रेड–।। कार्मिकों का अनुमानित मासिक वित्तीय भार निम्नानुसार होगा :–

यदि नर्स ग्रेड–।। की नवीन नियुक्ति है तो परीविक्षा अवधि में मासिक वित्तीय भार की गणना	यदि नर्स ग्रेड–।। की परीविक्षा अवधि पूर्ण हो गई है तो नियमित न्यूनतम वेतन **(L-11)** के आधार पर मासिक वित्तीय भार की गणना
कुल नवीन नर्सिंग कार्मिक X फिक्स वेतन 100 X 26,500 = **26,50,000/-**	Basic (37,800) + HRA (16%) + DA (12%) + CCA (1000) + Deput. Allow. (567) 37,800 + 6048 + 4536 + 1000 + 567 = 49, 951/- 100 X 49,951 = **49,95,100/-**

अतः राज्य सरकार के पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 02 के क्रम में विश्वविद्यालय पर पड़ने वाले वित्तीय भार के संबंध में प्रकरण आगामी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में नर्स ग्रेड–।। के राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के रिसर्च हॉस्पिटल हेतु स्वीकृत 25 पदों पर नियतिम भर्ती की गई गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये 23 नर्स ग्रेड–।। कार्मिक विश्वविद्यालय का रिसर्च हॉस्पिटल अस्तित्व में नही होने के कारण राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के सम्बद्ध चिकित्सालय में पदस्थापित है। साथ ही उपरोक्त वर्णित 100 नर्स ग्रेड–।। के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज. स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु नर्स ग्रेड–।। के 119 पद स्वीकृत किये गये है। उक्त स्वीकृत पदों में से 60 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017 में विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है जिन पर भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये नर्सिंग कार्मिको एवं निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार द्वारा नियुक्त किये गये नर्सिंग कार्मिकों की वरिष्ठता, कैडर एवं रोस्टर का निर्धारण किये जाने के संबंध में भी प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा चर्चा उपरान्त आवश्यक निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय : **निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 नर्सिंग ग्रेड–।। के रिक्त पदों को भरने हेतु बिन्दुवार चाही गई अन्डरटेकिंग भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त पद प्रतिनियुक्ति से ही भरे जायेगें एवं राज्य सरकार से यह निवेदन किया जाये कि उक्त 100 नर्सिंग ग्रेड–।। के पदों पर प्रोबेशनरी नर्स ग्रेड–।। उपलब्ध करवायें जायें जिससें कि विश्वविद्यालय पर ज्यादा वित्तीय भार नही हो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये नर्स ग्रेड–।। के कार्मिकों का कैडर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार का ही रहेगा एवं नियंत्रण निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का रहेगा तथा इनका वेतन आहरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।**

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के सम्बद्ध नवीन चिकित्सालय के स्वीकृत 119 पदों जिनमें से 60 पदों हेतु भर्ती अर्थना जारी की जा चुकी है। शेष 59 पदों में सें रिसर्च अस्पताल हेतु स्वीकृत 25 पदों में सें भर्ती प्रकिया 2013–14 में की गई थी। जिसमें से 23 पद भरे हुए है। उक्त 25 पदों को रिसर्च अस्पताल से नवीन चिकित्सालय के पदों में गणना करते हुए ही पदों की स्वीकृति जारी की गई थी। अतः वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति किये गये उक्त 25 पदों को नवीन चिकित्सालय के बजट मद में गणना हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जावें। शेष रिक्त पदों पर निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने का निर्णय लिया गया।

सचिव महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग से 500 बेड के नवीन चिकित्सालय के सूचारू संचालन हेतु एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल, जयपुर से 20–25 नर्सिग कर्मी राज्य सरकार से उपलब्ध होने तक प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराने हेतु भी निवेदन किया गया। जिससें नवीन चिकित्सालय में चिकित्सा सेवायें सुचारू रूप से संचालित हो सकें।

बिन्दु सं 11 विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु निर्धारित की गई फीस के अनुमोदन के संबंध में :–

विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 11.06.2019 में विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय राज.स्वा.वि. वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में शिक्षण शुल्क ***राज्य सरकार की सोसायटी*** *(RAJMES)* के अनुसार प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। सत्र 2019–20 की प्रवेश प्रकिया की कार्यवाही सम्पादित हो चुकी है। प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 20.07.2015 में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर 35 प्रतिशत सीटों पर 5,00,000/– रूपये शिक्षण शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। शुल्क रेगुलेटरी कमेटी, चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप–1) राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.03. 2015 ***(प्रति संलग्न)*** में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की 35 प्रतिशत पेमेन्ट सीटों हेतु शिक्षण शुल्क 7,20,000/– रूपये निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय के पत्रांक एफ.8( )राज.स्वा.वि.वि./एकेडमिक–।।/2019/4618 दिनांक 18.06.2018 के द्वारा शुल्क रेगुलेटरी कमेटी के आदेश दिनांक 03.03.2015 में जो फीस वृद्धि जो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के लिए की गई है, वही शिक्षण शुल्क अभिवृद्धि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर सत्र 2019–20 के लिए राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में भी 35 प्रतिशत पेमेन्ट सीटों पर शिक्षण शुल्क 5,00,000/– के स्थान पर 7,20,000/– किये जाने हेतु शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया। उल्लेखनीय है कि मंत्रीमण्डल की आज्ञा 95/2015 दिनांक 04.05.2015 के अनुसार राज.स्वा.वि. वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्राइवेट पेमेन्ट सीटो पर झालवाड़ मेडिकल कॉलेज की सीटों की तर्ज पर प्रावधान किये जाने का अनुमोदन किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा आदेश दि. 25.06.2019 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सत्र 2019–20 हेतु पेमेन्ट सीटों के शुल्क का निर्धारण किया गया है जिसके आधार पर महाविद्यालय स्तर से फीस का आदेश जारी किया जाकर सत्र 2019–20 की फीस ली गई है। अतः विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु निर्धारित की गई फीस की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम (100 सीट) सत्र 2014–15 से संचालित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की अवधि 4.5 वर्ष (बिना इन्टर्नशिप के) है, अतः यह निर्णय लिया जाना है कि एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम क्रम में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं से कुल कितनी अवधि की फीस प्राप्त की जानी है (4.5 वर्ष अथवा 5 वर्ष)।

निर्णय : राज्य सरकार के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कॉलेज में सत्र 2019–20 से एम.बी.बी.एस. छात्रों 35 प्रतिशत पेमेन्ट सीटों पर निर्धारित शिक्षण शुल्क राशि रू 7,20,000/– का अनुमोदन किया गया।

कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वि.वि. के संघटक मेडिकल कॉलेज में एन.आर.आई. सीटों पर निर्धारित फीस RAJMES के मेडिकल कॉलेजों की एन.आर.आई. सीटों की फीस की तुलना में कम है, उक्त एन.आर.आई. फीस को RAJMES के मेडिकल कॉलेजों की एन. आर.आई. सीटों की फीस के समकक्ष किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के आदेशानुसार वि.वि. एवं इसके संघटक महाविद्यालयों के कार्मिकों हेतु सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण किया जा चुका है जिससे वर्तमान में नियुक्त फैकल्टी को दिये जाने वाले वेतन की कुल वार्षिक खर्च राशि महाविद्यालय की कुल वार्षिक आय से बहुत अधिक है। निकट भविष्य में अन्य रिक्त पदों पर भर्ती/पदोन्नतियां होने के उपरान्त वेतन मद के व्यय में और अधिक वृद्धि होनी निश्चित है एवं राज्य सरकार/यू.जी.सी. आदि से वेतन व अन्य खर्चों हेतु वि.वि. को कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रतिवर्ष होने वाली आय व व्यय के वृहद अन्तर के दृष्टिगत महाविद्यालय को वित्तीय रूप से सुदृढ बनाने बाबत् कुलपति महोदय ने प्रस्ताव रखा कि इस महाविद्यालय की एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की एन.आर.आई. सीटों (15%) के अतिरिक्त अन्य समस्त सीटों (85%) पर शुल्क पेमेन्ट सीट शुल्क *(वर्तमान परिदृश्य में राशि रू. 7.20 लाख प्रतिवर्ष प्रति सीट)* के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत अध्ययन उपरान्त वि.वि. के आय–व्यय के पूर्ण ब्यौरे के साथ प्रस्ताव को पुनः आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जाना उचित होगा, इस पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत समस्त छात्रों (एन.आर.आई. सीटों के अतिरिक्त) से 4.5 वर्ष की शिक्षण शुल्क वसूल किया जावेगा।

बिन्दु सं 12 विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय में एक अधीक्षक एवं दो उप–अधीक्षक नामित किये जाने तथा दोनो चिकित्सालय (राज.स्वा.वि.वि. स्वास्थ्य विज्ञान चिकित्सालय एवं जयपुरिया चिकित्यालय) का नियंत्रक अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर प्रधानाचार्य, राज.स्वावि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक 500 शैययाओं के नवीन चिकित्सालय का उद्घाटन दिनांक 05.03.2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था। चिकित्सालय के सुचारू सचांलन हेतु अधीक्षक नियुक्त नही होने के कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमाक 29845 दिनांक 08.03.2019 के द्वारा चिकित्सालय संचालन समिति का गठन किया गया था व उक्त समिति में डॉ. महेश मंगल, आचार्य, सर्जरी विभाग को समन्वयक बनाया गया था। वर्तमान मे नवीन चिकित्सालय के सुलभ संचालन हेतु एक चिकित्सालय अधीक्षक एवं दो उप अधीक्षक को नामित करवाया जाना आवश्यक है ताकि दिन–प्रतिदिन की गतिविधियो का सुलभ संचालन किया जा सके।

चिकित्सालय के लिये गठित चिकित्सालय संचालन समिति के लिये जारी कार्यालय आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति **(प्रति संलग्न)** तथा चिकित्सालय के सुलभ संचालन हेतु एक एक अधीक्षक एवं दो उप–अधीक्षक नामित किये जाने एवं वर्तमान में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक चिकित्सालय के रूप में दो चिकित्सालय संचालित किये जा रहे है। उक्त चिकित्सालयों के नियत्रंण के लिये नियंत्रक अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर प्रधानाचार्य, राज. स्वावि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

निर्णय : **सदन को यह अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में प्रधानाचार्य व नियंत्रक तथा इनसे संलग्न चिकित्सालयों में अद्यीक्षक का पद Ex-Cadre होता है जिन पर वरिष्ठ फैकल्टी/चिकित्सकों को नियुक्त किया जाता है। उप–अद्यीक्षक का पद पृथक से स्वीकृत कराया जाता है जिस पर राज्य के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति की जाती है।**

विचार–विमर्श उपरान्त राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न नवीन 500 बैड के चिकित्सालय के लिए एक अद्यीक्षक एवं एक उप–अद्यीक्षक का पद Ex-Cadre स्वरूप सृजित करने एवं उसे राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में लागू प्रावधानों के अन्तर्गत भरे जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग, राज. सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

विचार–विमर्श उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद को 'प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक' के नाम से जाना जावेगा।

बिन्दु सं 13 विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जयपुर को राज्य सरकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में:–

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 3 में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मुख्य उद्धेश्य वर्णित है। उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) के अनुसार परिचर्या (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्धेश्यों में समाहित है। इस अधिनियम की धारा 5(क) के अनुसार अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करने की शक्ति विश्वविद्यालय में निहित की गई है जो विश्वविद्यालय उचित समझता हो। विश्वविद्यालय के उद्धेश्यों की पूर्ति व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिनियम की धारा 23(ठ) के अनुसार प्रबन्ध मण्डल में आवश्यक शक्तियां विद्यमान है, जिसका उपयोग करते हुए प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 12.04.2017 में संघटक नर्सिंग महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया (विद्या–परिषद की बैठक दि. 12.04.2017 के निर्णय व अनुमोदन द्वारा)। प्रबन्ध मण्डल के उक्त अनुमोदन उपरान्त ही विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईंसेज की स्थापना सत्र 2018–19 से बी.एस.सी. नर्सिंग (100 सीट) व एम.एस.सी. नर्सिंग (25 सीट) पाठ्यक्रमों के साथ की गई है। जिसके उपरान्त भी राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं आने के संबंध में आवश्यक चर्चा एवं निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र न आने की स्थिति में प्रशासन द्वारा महाविद्यालय में प्रशिक्षणरत छात्र–छात्राओं को आवश्यक सुविद्याऐं प्रदान कराना सम्भव नहीं माना गया है। अतः प्रशिक्षणरत छात्र–छात्राओं को भविष्य की अच्छी नर्सेज तैयार करने हैतु आवश्यक सुविधाऐं यथा कक्षा कक्ष, फर्नीचर, पुस्तकालय, लैबोरेट्रीज व छात्रावास से सम्बन्धित सुविधाऐं व अध्यापन हेतु शिक्षको की सुविधाऐं प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि वि.वि. की प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के उपरान्त विश्वविद्यालय के संघटक नर्सिंग महाविद्यालय को बी.एस.सी. नर्सिंग (100 सीट) व एम.एस.सी. नर्सिंग (25 सीट) पाठ्यक्रमों के साथ सत्र 2018–19 से प्रारम्भ किया गया है। राज्य सरकार को यथासमय विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया जा चुका है। राज्य सरकार को प्रबन्ध मण्डल की आज की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार उक्त महाविद्यालय हेतु शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है तथा उक्त महाविद्यालय हेतु वित्त समिति की बैठक में आवश्यक बजट की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।**

विचार विमर्श उपरान्त राज्य सरकार को पद सृजन व बजट प्रावधान के निर्णय से अवगत कराते हुए पुनः एक पत्र लिखा जाकर राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जयपुर हेतु बी.एस.सी. नर्सिंग (100 सीट) व एम.एस.सी. नर्सिंग (25 सीट) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।

बिन्दु सं 14 विश्वविद्यालय के संधटक राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जयपुर में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदो का सृजन एवं भर्त्ती प्रकिया के संबंध मे :–

वर्तमान में कोई भी पद सृजित न होने से कॉलेज में पदानुरूप भर्त्ती नहीं हो पायी है, परिणामस्वरूप अनेक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। यथा छात्र–छात्राओं की फीस व छात्रावास की फीस तो ली गई, खाता भी प्रधानाचार्य के पद से खोला गया लेकिन उसके व्यय या सुविधाऐं छात्रों हेतु राशि का उपयोग सम्भव नहीं है। साथ ही कार्य करने वाले पदासीन को पूर्ण अनियत/उत्तरदायित्व नहीं मिल पा रहा है।

संलग्न– शैक्षणिक पदो की संख्या (46) व अशैक्षणिक (संलग्न सूची अनुसार) पदो के सृजन के साथ –साथ शैक्षणिक सत्र 2019–20 (द्वितीय बैच) के भी छात्र–छात्राऐं प्रविष्ट होने वाले है अतः आई.एन.सी. नियमों के अनुसार महाविद्यालय को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु संलग्न विवरण के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के सृजन व उन पर भर्त्ती प्रकिया भी अविलम्ब किया जाने हेतु विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **आई.एन.सी. के नोर्म्स की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग सांइसेज, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग सांइसेज, जयपुर हेतु निम्नानुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का सृजन किये जाने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया :–**

S. No.	Designation	Required No. of Post
1.	Principal Cum Professor	01
2.	Vice-Principal Cum Professor	01
3.	Professor	02
4.	Associate Professor	05
5.	Assistant Professor	09
6.	Nursing Tutor	28
Total		**46**

अशैक्षणिक पद का विवरणः–

S. No.	Designation	Required No. of Post
1.	Assistant Section Officer	02
2.	Personal Assistant	01
3.	AAO Grade-II (Deputation from State Govt.)	01
4.	Senior Assistant	02
5.	Senior Assistant (Cashier)	01
6.	Junior Assistant	03
7.	Literate Attendant	03
8.	Peon	04
9.	Librarian	01
10.	Literate Attendant (Library)	01
11.	Bus Driver	01
12.	Bus Cleaner	01
13.	Security Guard (Contractual)	03
14.	**Hostel** Warden Sanitary Staff Lady Guard (Contractual) Guard (Male for Boys Hostel	 02 (1 for Girls & 1 for Boys) 04 03 03
15.	Gardener (Contractual)	01

राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग सांइसेज, जयपुर हेतु राज्य सरकार को उपरोक्तानुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के सृजन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति यथाशीघ्र प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं 15 **विश्वविद्यालय के संघटक** RUHS College of Nursing Sciences, Jaipur **में 03 सुरक्षा प्रहरी (01 महिलाकर्मी एवं 02 पुरूष) , 02 दो मैन विद मशीन , 02 सहायक कर्मचारी एवं 02 सफाई कर्मी उपलब्ध कराने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. नर्सिंग विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा अपने पत्रो द्वारा महाविद्यालय में 03 सुरक्षा प्रहरी (01 महिलाकर्मी एवं 02 पुरूष) उपलब्ध कराने (8–8 घंटे के लिए कुल 24 घंटे) हेतु विश्वविद्यालय को निवेदन किया गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्रांक 24115 दि. 27.02.2019 एव अन्य पत्र के द्वारा विश्वविद्यालय की अनुबंधित सिक्युरिटी सर्विस प्रोवाईडर एजेन्सी को निविदा अवधि समाप्ति अथवा निविदा सम्पादित होने तक 03 सुरक्षा प्रहरी (01 महिलाकर्मी एवं 02 पुरूष) उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। विश्वविद्यालय के पत्रांक 20034 दिनांक 03.01.2019 को विश्वविद्यालय से अनुबंधित मैन विद मशीन सर्विस प्रोवाईडर एजेन्सी को 02 मैन विद मशीन उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स आर.के. ट्रेडर्स एण्ड सर्विसेज को पत्र प्रेषित किया गया। विश्वविद्यालय के पत्रांक 19030 दिनांक 20.12.2019 को विश्वविद्यालय से अनुबंधित सर्विस प्रोवाईडर एजेन्सी को 02 सहायक कर्मचारी एवं 02 सफाई कर्मी उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स करणी केहर सिक्युरिटी कॉ–आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल की **कार्योत्तर स्वीकृति** प्राप्त की जानी है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पदों के संबंध में RAPSAR Act/Rules के तहत आवश्यक स्वीकृति भी सक्षम स्तर से प्राप्त की जावे।**

बिन्दु सं 16 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक नवीन चिकित्सालय हेतु पूर्व में स्वीकृत 05 Machine With Man की सेवायें वित्तीय वर्ष 2019–20 तक के लिये बढ़ाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में:–**

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के संघटक नवीन चिकित्सालय हेतु आपके विभाग के पत्रांक प.9(71)डीएमई/2017/ पार्ट जयपुर दिनांक 10.09.2018 द्वारा 05 Machine With man की सेवायें वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु लिये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीचे अंकित शर्त के अध्याधीन प्रदान की गई :–

शर्त :– वित्त (जी एण्ड टी) विभाग द्वारा दिनांक 30.04.2018 को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ने अपने संदर्भित पत्र के द्वारा उक्त 05 Machine With man की सेवायें वित्तीय वर्ष 2019–20 तक के लिए बढ़ाये जाने हेतु अनुशंषा व्यक्त की है।

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के नवीन चिकित्सालय हेतु आपके प्रासंगिक पत्रांक के द्वारा पूर्व में स्वीकृत 05 Machine With man की सेवायें वित्तीय वर्ष 2019–20 तक के लिए बढ़ाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग को पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी **कार्यात्तर स्वीकृति** हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 17 प्रधानाचार्य, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईन्सेज, जयपुर के नाम से खुलवाए गये बैंक खाते की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में :–

प्रधानाचार्य, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईन्सेज, जयपुर द्वारा अपने पत्र दि. 10.01.2019 द्वारा अवगत करवाया गया था कि भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली के निर्देशानुसार व राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1) के क्रमांक एफ–7(11) /डीएमई/नर्सिंग/2014 /3822 दिनांक 02.06.2016 के बिन्दु संख्या 6 की पालना में सत्र 2018–19 में प्रवेशित छात्र–छात्राओं से प्राप्त की जाने वाली फीस के डी.डी. *''प्रधानाचार्य, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईन्सेज, जयपुर''* के नाम से प्राप्त किये जा चुके है, जिन्हें अन्य नाम के खाते में जमा कराया जाना संभव नहीं है। छात्र–छात्राओं द्वारा जमा कराये गये डी.डी. अवधि पार ना हो तथा बजट का यथोचित सदुपयोग हो सके, इस हेतु पृथक से प्रधानाचार्य, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईन्सेज, जयपुर के नाम से बैंक खाता खुलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त के संबंध में प्रधानाचार्य, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईन्सेज, जयपुर के नाम से प्राप्त DD's के अवधि पार होने तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.7 (11)/डीएमई/नर्सिंग/2014 /3822 दिनांक 02.06.2016 के बिन्दू संख्या 6 के दृष्टिगत "प्रधानाचार्य, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईन्सेज, जयपुर" के नाम से खाता खोलने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके साथ यह शर्त रखी गई कि महाविद्यालय में प्रधानाचार्य एवं अन्य पदों का प्रावधान प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में किया जाकर राज्य सरकार से स्वीकृत होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी नियुक्ति तक उक्त खाते का संचालन कुलसचिव/वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर के हस्ताक्षरों से किया जावेगा। अतः उपरोक्त कार्यवाही की **कार्योत्तर स्वीकृति** प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 18 विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जयपुर के बजट प्रोविजन एवं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को खाते से आय–व्यय करने के लिए (आई.एन.सी के नॉर्म्स अनुसार) अधिकृत किये जाने के संबंध मे :–

दिनांक 01/04/2019 को वित्त समिति के समक्ष कॉलेज भवन के मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाये, बस आदि सहित राशि लगभग रूपये **60,572,50/–** का बजट प्रावधान प्रस्तुत किया गया था जिसके विरूद्ध मात्र 40 लाख (सशर्त) स्वीकृत किये गये लेकिन सशर्त स्वीकृति की सीमाओं में व्यय किये जाने की क्रय समिति गठित किया जाना है साथ ही Immediate required/instruments items की खरीददारी की जानी प्रस्तावित है। छात्र–छात्राओं की फीस व छात्रावास के करीब 54 लाख रूपये बैंक में भी जमा है तथा निकट भविष्य में द्वितीय बैच भी प्रवेशित होगा जिसमें करीब 1 करोड़ व 2020–21 में करीब 1.5 करोड व 2021–22 मे करीब 2 करोड रूपये वार्षिक आय की सम्भावना है व 450 छात्र–छात्राओं से आर.यू.एच.एस. के सम्बद्ध अस्पतालो में स्टाफ की कमी की पूर्ति करने में सहायक होने अतः छात्र–छात्राओ के उज्जवल भविष्य हेतु शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक गतिविधियों हेतु अविलम्ब बजट का प्रावधान कर सुविधायें सुलभ कराने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय : **सदन को यह अवगत कराया गया कि आई.एन.सी. के नोर्म्स के अनुसार छात्र/छात्राओं के भवन की मरम्मत, फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण पुस्तकें एवं छात्रावास में आवश्यक सामग्री क्रय जाने हेतु प्रधानाचार्य, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईन्सेज, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर वित्त समिति की बैठक में चर्चा की जाकर राशि रू 40.00 लाख का प्रावधान बजट (वित्तीय वर्ष 2019–20) में कर दिया गया है। माननीय सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वित्त समिति से अनुमोदित बजट राशि रू. 40.00 लाख की सीमा में आवश्यक व्यय मदों में प्राथमिकता निर्धारित की जाकर नियमानुसार उपकरण/सामग्री क्रय किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जावे।**

विशेष आंमत्रित सदस्य प्राचार्य, राज.स्वा.वि.वि कॉलेज ऑफ नर्सिंग के द्वारा सदन को अवगत कराया कि बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम की 100 सीटों के नर्सिंग महाविद्यालय व 25 सीटों के एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन हेतु आई.एन.सी. नॉर्म्स के अनुसार महाविद्यालय में आवश्यक संसाधनों, लैब, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु अनुमानित राशि रू 06 करोड़ का बजट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। उक्त विषय पर विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बजट सीमा में प्राथमिकता के अनुसार व्यय कर आवश्यक संसाधन/उपकरण क्रय किये जावे एवं अतिरिक्त बजट हेतु चरणबद्ध रूप में बजट प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

बिन्दु सं 19 **विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जयपुर के भवन के संबंध में:–**

वर्तमान में आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जयपुर निर्माणाधीन रिसर्च हास्पीटल भवन में चल रहा है, जिसके स्वामित्व सम्बधित दस्तावेज व निर्माणाधीन भवन के रूके हुए कार्य करवाते हुए भविष्य में इसमें नर्सिंग कॉलेज व छात्रावास (महिला व पुरूष) चलाये जाने का निर्णय किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि भवन का निर्मित क्षेत्रफल नर्सिंग कॉलेज के लिए आंशिक संशोधन कर चलाया जा सकता है जो आई.एन.सी. मापदण्ड का पूरा करता है। अतः भवन को आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जयपुर के नाम से Title दिया जाना भी प्रस्तावित है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में वि.वि. का संघटक नर्सिंग महाविद्यालय वि.वि. को रिसर्च हॉस्पीटल के भवन में संचालित किया जा रहा है। उक्त रिसर्च हॉस्पीटल के भविष्य के उपयोग के संबंध में आज की बैठक के बिन्दु संख्या 22 में भी प्रस्ताव रखा गया है। उक्त प्रस्ताव के अनुसार भी वि.वि. का संघटक नर्सिंग महाविद्यालय वि.वि. की रिसर्च हॉस्पीटल में ही संचालित होना प्रस्तावित किया गया है। विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वि.वि. का संघटक नर्सिंग महाविद्यालय वि.वि. के रिसर्च हॉस्पीटल के भवन में ही संचालित किया जावेगा। उक्त भवन के उपयोग परिवर्तन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही इस बैठक के बिन्दु सं. 22 के निर्णय के अनुसार की जावेगी।**

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भवन में नर्सिंग महाविद्यालय हेतु चिन्हित जगह में आई.एन.सी. के नियमों के अनुसार लेब, क्लासरूम, लाईब्रेरी, ऑफिस आदि हेतु आवश्यकतानुसार Addition/Alteration कार्य सम्पादित किया जावेगा। आई.एन.सी. के नियमों के अनुरूप इस भवन के इन उपयोगों के बाद यदि भवन में नियमानुसार जगह शेष रहती है तो उनमें नर्सिंग छात्रावास (महिला व पुरूष) चलाये जाने का निर्णय लिया गया। नर्सिंग महाविद्यालय के भवन के उपरोक्त प्रावधान के संबंध प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जयपुर द्वारा आर.एस.आर.डी.सी. के तकनीकी सहयोग से शीघ्र ही आवश्यक तकमीना तैयार कर प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। भवन के उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव के लिए पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की जावेगी।

विचार–विमर्श उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया वि.वि. के संघटक नर्सिंग महाविद्यालय को स्वपोषित महाविद्यालय के रूप में संचालित किया जावेगा ताकि विश्वविद्यालय पर भविष्य में अनावश्यक वित्तीय भार नहीं आवे।

बिन्दु सं 20 **विश्वविद्यालय के संघटक फार्मेसी महाविद्यालय RUHS College of Pharmaceutical Sciences के संचालन के संबंध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय :–**

विश्वविद्यालय के नवीन संघटक महाविद्यालय RUHS College of Pharmaceutical Sciences बी. व डी. फार्मा पाठ्यक्रम (60–60 सीटों हेतु) प्रारम्भ करने के लिए विद्या परिषद की 108वीं बैठक दिनांक 12.04.2017 के टेबल एजेण्डा 12 का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.04.2017 में एजेण्डा संख्या 01 में किया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 17421 दिनांक 13.12.2017 द्वारा फार्मेसी संकाय के डीन डॉ0 जी0

जयाबालन को नोडल ऑफिसर एवं हैड ऑफ इन्स्टीट्यूट नियुक्त किया गया और राज्य सरकार से उक्त महाविद्यालय को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पत्र लिखा गया।

डीन फार्मेसी/नोडल अधिकारी डॉ0 जी0 जयाबालन को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2630–32 दिनांक 30.04.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित संघटक महाविद्यालय हेतु नियमानुसार आवश्यक जमीन व भवन का विवरण व कोर्स संचालन के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा आवश्यक वित्तीय संसाधन आदि की सूचाना तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। डीन/नोडल अधिकरी द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 020 दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जमीन, बिल्डिंग का विस्तृत विवरण एवं बजट का विस्तृत विवरण संलग्न कर विश्वविद्यालय में प्रेषित किया गया।

नोडल अधिकारी एवं डीन, फार्मेसी, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा पत्र क्रमांक 022 दिनांक 06/02/2019 के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2019–20 से आरयूएचएस कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईन्सेज, जयपुर को प्रारम्भ करने हेतु फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की गई। उक्त सूची अनुसार शैक्षणिक शाखा द्वारा निम्न दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी (स्टोर) को यू.ओ. नोट क्रमांक 22566–70 दिनांक 08.2.2019 प्रेषित किया गया :–

1. Land Deed / Allocation letter in the name of University.
2. Approval Building Plan.
3. Instructional Area as per Building Committee Minutes.
4. Administrative Area as per Building Committee Minutes.
5. Amenities Area as per Building Committee Minutes.
6. Circulation Area as per Building Committee Minutes.

उक्त दस्तावेज स्टोर अनुभाग द्वारा शैक्षणिक अनुभाग को दिनांक 08.02.2019 को व्यक्तिशः उपलब्ध करवायें गये जो कि प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। शैक्षणिक अनुभाग द्वारा विश्वविद्यालय की गत वर्षों की Audited Balacne Sheet हेतु वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर को यू.ओ. नोट क्रमांक 22571–75 दिनांक 08.02.2019 प्रेषित किया गया एवं लेखा अनुभाग द्वारा उक्त Audited Balacne Sheet शैक्षणिक अनुभाग को दिनांक 08.02.2019 को व्यक्तिशः उपलब्ध करवाई गई।

डॉ0 जी. जयाबालन, डीन, फार्मेसी एवं नोडल ऑफिसर आरयूएचएस कॉलेज ऑफ फार्मासुटीकल साईन्सेज, जयपुर को विश्वविद्यालय के संघटक फार्मेसी महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2019–20 में प्रारम्भ करने के दृष्टिगत फार्मेसी काउंन्सिल ऑफ इण्डिया से अनुमति प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन फीस रू0 10,000/– व संबंद्धता शुल्क मय निरीक्षण शुल्क (सर्विस चार्ज के अतिरिक्त) रू0 275000/– समेकित राशि रू0 285000/–जमा कराने हेतु NEFT द्वारा डॉ0 जी. जयाबालन के खाते में राशि हस्तान्तरित करने हेतु विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक 22631 दिनांक 08.02.2019 जारी किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 22639 दिनांक 08.02. 2019 के द्वारा सत्र 2019–2020 के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया कोConsent for being Examining Authority for RUHS College of Pharmaceutical Sciences, Jaipur (बी फार्म व डी फार्म पाठ्यक्रमों में 60–60 सीटों हेतु) जारी किया गया है।

राजस्थान सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर – अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव द्वारा पत्र क्रमांक एफ.7(118)/डी.एम.ई./फार्मा/2018/643 दिनांक 08.02. 2019 के द्वारा विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय आरयूएचएस कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईन्सेज, जयपुर में बी. फार्मा की 60 सीट व डी. फार्मा 60 सीट वार्षिक क्षमता के लिए सत्र 2019–2020 से संचालित करने हेतु सशर्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

उक्त सभी दस्तावेजों को डॉ0 जी. जयाबालन, डीन, फार्मेसी एवं नोडल ऑफिसर आरयूएचएस कॉलेज ऑफ फार्मासुटीकल साईन्सेज, जयपुर को विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रारम्भ करने हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली में

आवेदन करने के लिए दिनांक 08.02.2019 को प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में डीन /नोडल अधिकरी द्वारा दिनांक 08.02.2019 को पीसीआई में ऑनलाईन आवेदन कर दिया गया एवं विश्वविद्यालय में आवेदन की SIF Report एवं पीसीआई से प्राप्त फीस की रसीदें संलग्न कर प्रस्तुत कर दी गई है।

डीन व नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 027 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा Requirements for RUHS college of Pharmaceutical Sciences के संबंध में है जिसमें टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ, लाईब्रेरेरी स्टाफ, कम्पयूटर एण्ड एसिसरिज, लाईब्रेरी बुक्स, जर्नलस, लाईब्रेरी फेसिलिटीज, फर्निचर इन्फ्रास्टेक्चर आदि की आवश्यकता पीसीआई के नियमानुसार दर्शाई गई है एवं RUHS College of Pharmaceutical Sciences का शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा निरीक्षण किया जाने का उल्लेख किया गया है। डीन/नोडल अधिकारी द्वारा टाईम टेबल एवं एकेडमिक कलेण्डर की प्रति भी ईमेल के माध्यम दिनांक 08.03.2019 को विश्वविद्यालय में प्रेषित की गई है।

डॉ0 आलोक खुटेटा व डॉ0 दीपा गुप्ता, लाल बहादुर फार्मेसी कॉलेज, जयपुर को पीसीआई द्वारा पत्र क्रमांक Ref No. PCI – 4427 के माध्यम से वि.वि. के सघंटक महाविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 15.03.2019 को करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी प्रति निरीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाई गई एवं उनके द्वारा दिनांक 15.03.2019 को निरीक्षण भी किया गया।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक एफ.7 (118) /डीएमई/फार्मा/2018/877 दिनांक 22.02.2019 द्वारा विश्वविद्यायल के प्रस्तावित संघटक फार्मेसी कॉलेज, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ फार्मासुटीकल साईन्स, जयपुर के लिए बी. फार्मा की 60 सीट व डी. फार्मा की 60 सीट वार्षिक क्षमता के लिए जारी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में दर्शायी गई शर्ते पूर्ण कर अवगत कराने हेतु प्रेषित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15.06.2019 को आरयूएचएस कॉलेज ऑफ फार्मासुटीकल साईन्स, जयपुर के लिए बी. फार्मा की 60 सीट व डी. फार्मा की 60 सीट हेतु सत्र 2019–20 हेतु सशर्त स्वीकृति भी जारी की गई है।

अतः विश्वविद्यालय के नवीन संघटक महाविद्यालय के संबंध में नोडल अधिकारी व डीन फार्मेसी, द्वारा समय–समय पर विशविद्यालय में प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज अवलोकनार्थ एवं उक्त महाविद्यालय के सुगम संचालन हेतु मूलभूत संसाधनों की व्यवस्था व आवश्यक वित्तीय संसाधन की व्यवस्था के संबंध में चर्चा एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त महाविद्यालय के संचालन हेतु विश्वविद्यालय में भवन, स्टॉफ एवं उच्च परिषदो के नियमानुसार आवश्यक पुस्तकें, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर इत्यादि का नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए पदो के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।**

उपरोक्त इस सम्बन्ध में होने वाले संभावित व्यय का बजट प्रस्ताव तैयार कर आगामी वित्त समिति की बैठक में रखा जावें। साथ ही फार्मेसी महाविद्यालय हेतु भवन की उपलब्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाकर भवन एवं भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की जावेगी। उक्त रिपोर्ट को आगामी प्रबन्ध के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु रखा जावेगा। यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जावे ताकि आगामी सत्र 2020–21 से वि.वि. के संघटक फार्मेसी महाविद्यालय का संचालन सुचारू रूप से हो सकें।

बिन्दु सं 21 **43वी. वित्त समिति से अनुमोदित बजट के आधार पर रिसर्च अस्पताल के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय निधि से आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर को जारी राशि रू. 1,20,40,000/– का प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन बाबत् एजेण्डाः–**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन 100 बैडेड रिसर्च अस्पताल के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.02.2013 को जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संशोधित कुल लागत ₹ 2465.00/– लाख मे राशि रू. 120.40/– लाख विश्वविद्यालय के स्वंय स्त्रोतो से प्राप्त आय से वहन करना हैं।

विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 43 वीं बैठक में रिसर्च अस्पताल के निर्माण हेतु आर.एस.आर. डी.सी. को राशि जारी करने हेतु बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय की निर्माण कार्यो की समीक्षा हेतु डेजिग्नेटेड कमेटी ने आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा प्रस्तुत यू.सी. एवं निर्माण कार्य की समीक्षा पश्चात् अब तक के निर्माण लागत रू. 2121.42/– लाख मे से पूर्व में भुगतान की जा चुकी राशि रू. 1810.14 लाख कम करते हुए शेष राशि रू. 311.28/– लाख जारी करने की अनुशंसा की थी। साथ ही माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा ली गई बैठक दिनांक 11.06.2019 के जारी बैठक कार्यवाही विवरण मे आर.एस.आर.डी.सी. को विश्वविद्यालय निधी से दी जाने वाली राशि के भुगतान का निर्देश किया था। उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 12083–89 दिनांक 12.09.2019 के द्वारा रिसर्च अस्पताल के निर्माण हेतु आर.एस. आर.डी.सी. को विश्वविद्यालय निधी से किये गये राशि ₹ रू.1,20,40,000/– के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा **कार्योत्तर अनुमोदनार्थ** प्रस्तुत हैं।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 22 राज.स्वा.वि.वि. के निर्माणाधीन रिसर्च अस्पताल के भविष्य में होने वाले उपयोग के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. के निर्माणाधीन रिसर्च अस्पताल के भविष्य में होने वाले उपयोग के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर· डॉ. वी.एम. कटोच की अध्यक्षता में समस्त संकायाध्यक्षों व वि.वि. अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की बैठक दिनांक 30.08.2019 को आयोजित की गई जिसमें रिसर्च हॉस्पीटल के भविष्य में होने वाले उपयोग के संबंध में चर्चा की गई। समिति की बैठक दिनांक 30.08.2019 में की गई अनुशंषा पर विचार–विमर्श व आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त राज.स्वा.वि.वि. के निर्माणाधीन रिसर्च अस्पताल के भविष्य में होने वाले उपयोग के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर डॉ. वी.एम. कटोच की अध्यक्षता में समस्त संकायाध्यक्षों व वि.वि. अधिकारियों की गठित समिति की बैठक दिनांक 30.08.2019 में की गई अनुशंषाओ का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि रिसर्च अस्पताल के चिकित्सा उपयोग के स्थान पर 'सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस फॉर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग' तथा नर्सिंग महाविद्यालय के संचालन हेतु उपयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अवगत कराया जावें एवं विस्तृत प्रस्ताव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किया जावेगा।**

उक्त भवन में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बजट प्रावधान अनुसार राशि का उपयोग भी किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में डॉ. कमल कुमार जैन, सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा भी आवश्यक सुझाव दिये गये, जिसके सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा प्रंशसा की गई।

रिसर्च हॉस्पीटल भवन के उपयोग हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर डॉ. वी.एम. कटोच की अध्यक्षता में गठित कमेटी के गठन का अनुमोदन करते हेतु उपरोक्त निर्णय के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया। यह कमेटी इस भवन के भविष्य के उपयोग (संघटक नर्सिंग महाविद्यालय एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस फॉर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग) के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव विश्वविद्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी।

बिन्दु सं 23 विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दी गई राशि रू. 1.50 करोड़ को गेल (इंडिया) लिमिटेड को वापस लौटाये जाने के सम्बन्ध में:–

विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत राशि रू. 1.50 करोड़ जारी की गयी थी, जिसका उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा Cath Lab PPP मोड पर लिये जाने के कारण गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी राशि का उपयोग नहीं हो पाया था।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक 4093 दिनांक 21.06.2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा उक्त राशि का उपयोग लोकहित में अन्य किसी प्रकार से किया जा सकता है, तो इस बाबत गेल (इंडिया) लिमिटेड के उच्चाधिकारियों से विचार–विमर्श उपरांत निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सूचित किये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था।

अतिरिक्त निदेशक के उक्त पत्र के क्रम में उक्त राशि का लोकहित में अन्य किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है के निर्णय हेतु माननीय प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 01.10.2018 में प्रकरण रखा गया था। प्रबन्ध बोर्ड की उक्त बैठक में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जारी राशि रू. 1.50 करोड़ के लोकहित में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित की जा रही स्वाईन फलू लैब (VDRL) की स्थापना एवं इसकी क्रियान्विति हेतु गेल इंडिया लिमिटेड की स्वीकृति उपरान्त किये जाने का निर्णय लिया गया था।

प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के क्रम में वि.वि. पत्र क्रमांक 17131 दिनांक 27.11.2018 के द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान की गयी राशि का उपयोग लोकहित में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित की जा रही स्वाईन फलू लैब (VDRL) की स्थापना के कार्य में उपयोग लिये जाने की स्वीकृति दिये जाने पुनः गेल इंडिया लिमिटेड को निवेदन प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 17131 दिनांक 27.11.2018 के क्रम में गेल इंडिया लिमिटेड से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दिये गये राशि रू. 1.50 करोड़ का CSR Policy के अनुसार दूसरे किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किये जा सकने बाबत लिखा गया है। अतः गेल इंडिया लिमिटेड के पत्र के माध्यम से Cath Lab की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को दी गयी राशि को पुनः गेल (इंडिया) लिमिटेड को लौटाये जाने बाबत लिखा गया है। साथ ही गेल इंडिया लिमिटेड ने अवगत कराया गया है कि सीएसआर योजना के तहत विश्वविद्यालय को दी गयी राशि रू. 1.50 करोड़ लौटाये जाने के उपरान्त यदि लोकहित के अन्य कार्य जैसे स्वाईन फलू लैब (VDRL) की स्थापना एवं इसकी क्रियान्विति हेतु गेल इंडिया से CSR योजना के तहत सहायता चाहिए तो उसके लिए विस्तृत परियोजना विवरण तैयार कर गेल (इंडिया) लिमिटेड के जयपुर कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अवगत कराया गया है।

अतः गेल इंडिया लिमिटेड से CSR योजना के तहत "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु प्राप्त राशि रू. 1.50 करोड को वापस लौटाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दी गई राशि रू. 1.50 करोड़ के प्रकरण से सदन को विस्तार से अवगत कराया गया। उक्त राशि के उपयोग नहीं हो सकने के कारणों के बारे में भी सदन को अवगत कराया गया। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गेल (इंडिया) लिमिटेड को उक्त राशि को अन्य उपयोग (जैसे स्वाईन फलू लैब (VDRL) की स्थापना) हेतु भी प्रस्ताव भिजवाया गया था, जिस पर गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा असहमति व्यक्त की गई है।**

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गेल (इंडिया) लिमिटेड को पुनः एक पत्र प्रेषित किया जाकर यह निवेदन किया जावे कि उनके द्वारा सीएसआर योजना के तहत दी गई राशि रू. 1.50 करोड़ का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा अन्य उपयोग (जैसे स्वाईन फलू लैब (VDRL) की स्थापना) **के पेटे लोकहित में ही किया जावेगा। सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार से यह निवेदन किया गया कि वे राज्य सरकार के स्तर से भी उक्त प्रकरण में आवश्यक पत्र व्यवहार गेल (इंडिया) लिमिटेड से कराने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।**

बिन्दु सं 24 माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या के तहत एक अत्याधुनिक Paraplegic treatment wing के निर्माण हेतु आर.एस.आर.डी.सी. को राशि रु॰ 3.00 करोड़ (राशि रू. तीन करोड़ मात्र) हस्तान्तरित करने की स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या –236 वर्ष 2017–18 की क्रियान्विति के क्रम में एक अत्याधुनिक Paraplegic treatment wing के निर्माण हेतु बजट घोषणा की गई थी। इस हेतु वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा 3.00 करोड रु. विश्वविद्यालय को रिलीज किये गये थे। वर्ष 2018–19 में इस हेतु कोई राशि रिलीज नही की गई है। Paraplegic treatment wing के निर्माण कार्य की प्रगति को बनाये रखने हेतु विश्वविद्यालय के पीडी खाते में निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध उपरोक्त राशि को RSRDC द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्यो के लिए डेजिगनेटेड कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राशि रु॰ 3.00 करोड़ (राशि रू. तीन करोड़ मात्र) हस्तान्तरित करने की स्वीकृति आदेश क्र. 2106 दि. 13.05.2019 द्वारा जारी की गई है। जिसकी **कार्योत्तर स्वीकृति** हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 25 राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु आर.एस.आर.डी. लि. को राशि रू. 15.04 करोड हस्तांतरित किये जाने के संबंध में जारी आदेश क्र. 3086 दि. 25.05.2019 की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में:–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या– 69 वर्ष 2013–14 की क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण हेतु मार्च–2018 तक राज्य सरकार द्वारा RUHS को राशि रू. 22240.00 लाख आवंटित किए गए थे एवं वर्ष 2018–19 में 1337.00 लाख रू. राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए है। उक्त राशि (22240.00 + 1337.00 = कुल 23577.00 लाख रू.) का हस्तांतरण परियोजना निदेशक (यूनिट तृतीय) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को पूर्व में किया जा चुका है।

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्रांक 1107 दि. 08.03.2019 द्वारा राशि रू. 15.04 करोड की स्वीकृति जारी की गई है। कार्य की निरन्तरता को बनाये रखने हेतु विश्वविद्यालय के पीडी खाते में निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध राशि में से RSRDC द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्यो के लिए राज्य बजट में उपलब्ध /प्रावधान राशि मे से डेजिगनेटेड कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर **राशि रु॰ 15.04 करोड़ (राशि रू. पन्द्रह करोड़ चार लाख मात्र)** हस्तान्तरित किये जाने हेतु कार्यालय आदेश क्र. 3086 दि. 25.05.2019 जारी किया गया। उक्त आदेश **कार्योत्तर स्वीकृति** हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 26 महात्मा गांधी बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, सीकर को सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में जारी 60 की सीट की सम्बद्धता के स्थान पर 50 की संशोधित सम्बद्धता जारी किये जाने के संबंध में :–

संस्था महात्मा गांधी बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, सीकर को बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स हेतु आई.एन.सी. द्वारा 60 सीटों की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा एन.ओ.सी. में 50 सीटों का ही उल्लेख होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा 50 सीटों (न्यूनतम) हेतु सम्बद्धता पत्र जारी किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि उक्त संस्था द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटिशन स. 14274/2015 में माननीय न्यायालय द्वारा दि. 17.12.2015 को आई.एन.सी. द्वारा स्वीकृत 60 सीटों पर बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम सत्र 2015–16 में छात्रों को प्रवेश दिये जाने के आदेश पारित किये गये। परन्तु उक्त संस्था को सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स हेतु 50 सीटों के स्थान पर सहवन से 60 सीट की सम्बद्धता जारी हो गई। इसके पश्चात सत्र 2018–19 हेतु भी माननीय न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन स. 27880/2018 में दिनांक 04.02.2019 को आई.एन.सी. द्वारा स्वीकृत 60 सीटों पर बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश दिये जाने के आदेश पारित किये गये।

माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों सहित प्रकरण को निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 23.02.2019 चर्चा हेतु रखा गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चुंकि राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय को बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 50 सीटों की ही एन.ओ.सी. प्रदान की गई है अतः विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय को सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में तदानुसार 50 सीटों हेतु ही सम्बद्धता जारी की जावे। साथ ही संभावित Litigation को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था में सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स में प्रवेशित अतिरिक्त 10 छात्रों का अध्ययन यथावत रखा जावे।

अतः निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 23.02.2019 में महात्मा गांधी बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, सीकर से संबंधित लिया गया उक्त निर्णय अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा निरीक्षण मण्डल द्वारा उपरोक्त निर्णय पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 27 संस्था CLG Pharmacy College, CLG Campus, Jawai Bandh Road, Sumerpur, Pali को सत्र 2018–19 की वार्षिक सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में:–

संस्था CLG Pharmacy College, CLG Campus, Jawai Bandh Road, Sumerpur, Pali के द्वारा निर्धारित समय तक संबद्धता शुल्क मय लेट फीस व पैनल्टी विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराने के कारण संस्था को सत्र 2018–19 की कांउसलिंग हेतु सम्मिलित नहीं किया गया था। जिसके क्रम में संस्था के द्वारा Under protes (till resolve the dispute) सत्र 2018–19 हेतु सम्बद्धता शुल्क मय पैनल्टी व लेट फीस राशि 146000/– दिनांक 03.08.2018 को ऑनलाईन जमा करवाई गई।

संस्था के प्रकरण को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं फिजियोथैरिपी महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की सत्र 2018–19 की काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा अनुभाग को भेजे जाने वाली सूचियों का परीक्षण निर्धारित मापदण्ड एवं नियमानुसार करने हेतु गठित कमेटी के समक्ष पुनः दिनांक 04.08.2018 को रखा गया।

कमेटी द्वारा संस्था की पत्रावली का निरीक्षण करने के उपरान्त, फार्मेसी काउंसलिंग बोर्ड 2018 संयोजक, डॉ0 मोनिका जैन द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30.07.2018 का भी अवलोकन किया जो कि बी. फार्म व डी. फार्म पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग हेतु अन्तिम सूची दिनांक 01.08.2018 को सांय 05.00 बजे तक काउंसलिग बोर्ड को उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया था। कमेटी द्वारा उक्त महाविद्यालय का नाम डी. फार्म पाठ्यक्रम की 60 सीटों हेतु सत्र 2018–19 हेतु प्रवेश काउन्सलिंग बोर्ड को नहीं भिजवाये जाने की अनुशंषा की गई क्यों कि सूची भेजने की अन्तिम तिथि दिनांक 01.08.2018 निकल चुकी थी।

बी.ओ.आई. की बैठक दिनांक 10.08.2018 के बिन्दू संख्या 11 के निर्णयानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2018–19 हेतु Zero session रखे जाने की अनुशंषा की गई (प्रति संलग्न) थी, क्योंकि उक्त महाविद्यालय को सत्र 2018–19 की कांउसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशियन संख्या 11986/2018 सीएलजी शिक्षण संस्थान बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय व अन्य में दिनांक 13.08.2018 को पारित अंतरिम निर्णय की अनुपालना में संस्था को सत्र 2018–19 डी.फार्म पाठ्यक्रम – 60 सीट हेतु प्रोविजनली छात्र आवंटन किए जाने हेतु प्रभारी अधिकारी प्रवेश परीक्षा अनुभाग को यू.ओ. नोट क्रमांक 9943–44 दिनांक 14.08.2018 प्रेषित किया गया (प्रति संलग्न)।

संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में पत्र क्रमांक 1336 दिनांक 15.12.2018 प्रेषित कर सत्र 2018–19 की वार्षिक सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। लौटरी में शामिल उक्त महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के सत्र 2018–19 हेतु जारी कलेण्डर की शर्त अनुसार उच्च परिषदों पी.सी.आई. एवं ए.आई.सी.टी.ई. की मान्यता प्राप्त कर विश्वविद्यालय में नियत समय पर प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त महाविद्यालय द्वारा जमा कराये गये सम्बद्धता शुल्क मय पैनल्टी व लेट फीस का प्रमाणिकरण भी विश्वविद्यालय के लेखा अनुभाग द्वारा कर दिया गया है :–

S. No.	Name of the College	Course (s)	Intake 2018-19	Type of Aff. 2018-19	AICTE Intake 2018-19	PCI Intake 2018-19	Affidavit	Fee Deposit
1.01	CLG Pharmacy College, CLG Campus, Jawai Bandh Road, Sumerpur, Pali	D. Pharm	60	Annual	100	60	Yes	Yes

उक्त महाविद्यालय को सत्र 2018–19 हेतु वार्षिक सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में एजेण्डा दिनांक 23.02.2019 को बी.ओ.आई. के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय प्रस्तुत किया गया, जिसमें सदस्यों द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :– **"महाविद्यालय द्वारा माननीय न्यायालय में दायर रिट पिटिशियन संख्या 11986/2018 के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रखते हुए महाविद्यालय को डी. फार्मा पाठ्यक्रम –60 सीट हेतु सत्र 2018–2019 की प्रोविजनल संबद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया है।"** अतः निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 23.02.2019 में CLG Pharmacy College, Pali से संबंधित लिया गया उक्त निर्णय अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा निरीक्षण मण्डल द्वारा उपरोक्त निर्णय पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 28 एस. टेक. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाड़ा द्वारा जमा करवाये गये परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में।

प्रधानाचार्य, एस.टेक. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 165 दिनांक 08.12.2018 प्रेषित कर निवेदन किया गया था कि उनके महाविद्यालय के सत्र 2017–18 में अध्ययनरत बी.एस.सी. नर्सिंग के छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क जो कि (NEFT संख्या BARBL18293491125 दिनांक 20.10.2018 एवं NEFT राशि रूपये 93104/–) जमा करवा दिया था को पुनः संस्था को लौटाया जावें। जिसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक 202010–11 दिनांक 27.03.2019 प्रधानाचार्य, एस.टेक. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाड़ा को प्रेषित कर सत्र 2017–18 में अध्ययनरत बी.एस.सी. नर्सिंग के छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्राचार्य महोदय एस.टेक. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 55 दिनांक 04.04.2019 प्रेषित कर उक्त पत्र का प्रतिउत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है। "कि यूनिवर्सिटी के नियमानुसार परीक्षा शुल्क जमा करवाना होता है और हमारे बी.एस.सी. नर्सिंग सत्र 2017–18 के छात्र छात्राओं का परीक्षा पोर्टल पर नाम नहीं आ रहा था। अतः छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए हमारी संस्था ने परीक्षा शुल्क NEFT द्वारा (NEFT संख्या BARBL18293491125 दिनांक 20.10.2018 एवं

NEFT राशि रूपये 93104/–) जमा करवा दिया था और इस विषय में हमारी संसथा ने आप के विभाग को पत्र द्वारा (पत्रांक STech/2018/143 दिनांक 20/10/2018) अवगत करवा दिया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आपके विभाग ने हमारी संस्था के बी.एस.सी. नर्सिंग सत्र 2017–18 के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा के ठीक एक दिन पहले परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल खोला था एवं सभी छात्र छात्राओं की परीक्षा फॉर्म शुल्क ऑनलाइन जमा करवाने का आदेश दिया गया था अतः आपके निर्देशानुसार पुनः परीक्षा फार्म शुल्क जमा करवा दिया गया। इस विषयान्तर्गत आपके विभाग से विनम्र निवेदन है कि इन सभी छात्र छात्राओं की पूर्व में जो NEFT द्वारा राशि 93104/– यूनिवर्सिटी को जमा कराई गई उसको पुनः संस्था को लौटाने का श्रम करावें।" इसके पश्चात् महाविद्यालय द्वारा पुनः पत्रांक 83 दिनांक 12.06.2019 प्रेषित कर सत्र 2017–18 में अध्ययनरत बी.एस.सी. नर्सिंग के छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है।

एस.टेक. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाड़ा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के सम्बन्ध में लेख है कि उक्त महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का परीक्षा शुल्क (NEFT संख्या BARBL18293491125 दिनांक 20.10.2018 एवं NEFT राशि रूपये 93104/–) जमा करवाने के लिये महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये थे। शैक्षणिक अनुभाग के द्वारा प्राप्त यू.ओ. नोट 6789–90 दिनांक 02.07.2018 की अनुपालना में सत्र 2017–18 के छात्र/छात्राओं का नामांकन नहीं किया गया था। बी.एस.सी. नर्सिंग पार्ट–1 परीक्षा नवम्बर–2018 प्रारम्भ होने से पुर्व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 17864/2018 दिनांक 26.11.2018 की पालना में सत्र 2017–18 के 46 छात्र/छात्राओं को अस्थाई नम्बर जारी करते हुए परीक्षा में शामिल कर दिया गया है एवं उक्त छात्र/छात्राओं का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2019 की पालना में परीक्षा परिणाम भी जारी कर पुनमूल्यांकन हेतु आवेदन फॉर्म मांगे गये है। महाविद्यालय के सत्र 2017–18 में अध्ययनरत बी.एस.सी. नर्सिंग के छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

निर्णय : **उक्त प्रकरण में विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार 15 प्रतिशत राशि की शास्ति आरोपित की जाकर शेष राशि महाविद्यालय को पुनः लौटाये जाने/समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।** यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे। यह परामर्श दिया गया कि भविष्य में ऐसे प्रकरणों में नीतिगत निर्णय लिया जावे।

बिन्दु सं 29 श्रीमती दाकुबेन सरेमलजी संचेती नर्सिंग इंस्टीट्यूट, सुमेरपुर, पाली द्वारा जमा करवाई गई राशि 6,54,750/– रूपये में से सत्र 2018–19 एवं 2019–20 का संबंद्वता शुल्क समायोजन किए जाने के पश्चात बची शेष राशि 3,41,750/– लौटाये जाने के संबंध में

महाविद्यालय श्रीमती दाकुबेन सरेमलजी संचेती नर्सिंग इंस्टीट्यूट, सुमेरपुर, पाली द्वारा सत्र 2018–19 से पांच वर्ष की (2018–19 से 2022–23) Long Term Affiliation हेतु दिनांक 26/12/2017 को आरटीजीएस के माध्यम से राशि 654750/– रूपये जमा करवाकर आवेदन किया गया था। संस्था को वि.वि. द्वारा स्क्रूटनी कमेटी व निरीक्षण मण्डल की अनुंशषा के आधार पर सत्र 2018–19 की वार्षिक संबंद्वता की अभिशंषा किए जाने पर संस्था द्वारा सत्र 2018–19 में उक्त जमा राशि में से ही सत्र 2019–20 का संबंद्वता शुल्क समायोजित कर शेष राशि लौटाने का निवेदन किया है।

रिकार्डनुसार संस्था द्वारा ऑनलाईन ट्राजेक्शन नम्बर MRGBH17356080151 के माध्यम से दिनांक 22/12/2017 को राशि 6,54,750/– वि.वि. के खाता संख्या 12562041000012 जमा करवाई गई थी।

वि.वि. के आदेश क्रमांक 17433 दिनांक 13/12/2017 के अनुसार सत्र 2018–19 का वार्षिक संबंद्वता शुल्क	Rs. 145500/-

वि.वि. के आदेश क्रमांक 17936 दिनांक 04/12/2018 के अनुसार सत्र 2019–20 का वार्षिक संबद्धता शुल्क	Rs. 167500/-
कुल वार्षिक संबद्धता शुल्क	Rs. 313000/-

संस्था द्वारा जमा राशि 6,54,750/– रूपये में से सत्र 2018–19 एवं 2019–20 की वार्षिक संबद्धता हेतु शुल्क समायोजित करने के पश्चात शेष राशि 341750/– रूपये (6754750 – 313000) वापिस लौटाये जाने के क्रम में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से आवश्यक निर्णय लिया जाकर संस्था को राशि पुनः लौटाये जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 30 शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ जमा करवाई गई 18% GST की राशि को पुनः संबंधित महाविद्यालयों को रिफण्ड किये जाने के संबंध में :–

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 19761 दि. 28.12.2018 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ 18% (9% CGST + 9% SGST) की दर से GST की राशि भी जमा कराने हेतु महाविद्यालयों को सूचित किया गया था। सक्षम स्तर से प्राप्त आदेशों के उपरान्त वि.वि. द्वारा अधिसूचना क्र. 20237 दि. 07.01.2019 जारी कर विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर समस्त संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय का सम्बद्धता शुल्क (सत्र 2019–20) बिना GST की राशि के ही जमा करवाया जाना है। इस प्रकार जिन महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ जो GST की राशि जमा करवाई गई है उसे संबंधित महाविद्यालयों को पुनः रिफण्ड किया जाना है। प्रकरण चर्चा एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि कर के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई राशि को पुनः विश्वविद्यालय स्तर से संबंधित महाविद्यालयों को लौटाया जाना उचित नहीं है, उक्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित की जानी उचित होगी। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त जमा जी.एस.टी. की राशि की मांग की गई हो/जाती है तो उन्हें इस रिफण्ड हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी को ही आवेदन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया जावे।**

बिन्दु सं 31 शैक्षणिक सत्र 2020–21 की सम्बद्धता हेतु महाविद्यालयों से प्राप्त किये जाने वाले सम्बद्धता शुल्क के संबंध में :–

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 5 में विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य निर्धारित किये गये है, जिसमें धारा 5(ठ) के अनुसार ऑर्डिनेन्सों के अनुसार फीस और अन्य प्रभार नियम और संगृहित करने की शक्ति विश्वविद्यालय को प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय में होने वाले वेतन–भत्ते, अकस्मिक व्यय आदि हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक राज्य सरकार द्वारा आवश्यक बजट उपलब्ध कराया गया। इसके पश्चात वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा वेतन–भत्ते, आकस्मिक व्यय आदि हेतु किसी प्रकार का बजट विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं करवाया गया। फलस्वरूप अन्य व्ययों के अतिरिक्त उक्त व्ययों हेतु भी विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि से होने वाली आय पर ही निर्भर है। राज्य सरकार के अतिरिक्त यू.जी.सी., भारत सरकार इत्यादि से भी विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है।

विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम के उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु संघटक डेन्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जा चुकी है, जो वर्तमान में संचालित है।

विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल संकाय के कोर्स भी संघटक मेडिकल कॉलेज में संचालित है एवं फार्मेसी संकाय में संघटक महाविद्यालय भी शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में प्रशासनिक संरचना के अनुसार स्वीकृत अधिकांश पदों पर भी नियमित भर्ती की जा चुकी है, जिनमें नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के अनुसार वेतन–भत्तों का नियमित भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालय हेतु स्वीकृत किये जाने वाले प्रत्येक पद की स्वीकृति के साथ ही यह भी शर्त अंकित की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं की आय स्त्रोतों से ही संबंधित पद के वेतन–भत्तों के भुगतान किया जावेगा एवं राज्य सरकार इस संबंध में किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार वहन नहीं करेगी। विश्वविद्यालय के नवीन 500 बैड का चिकित्सालय भी प्रारम्भ किया जा चुका है। उपरोक्त सभी संस्थानों के संचालन हेतु वित्तीय व्यवस्था वर्तमान में विश्वविद्यालय निधि से ही की जा रही है। विश्वविद्यालय की तत्कालीन वित्तीय स्थिति के अनुसार भविष्य में होने वाले वित्तीय संकट के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.08.2014 में यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय की सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि प्रभारों में 15% की समान दर से सत्र 2015–16 से आगामी पांच वर्षों तक (सत्र 2019–20 तक) प्रतिवर्ष वृद्धि की जावेगी। प्रबन्ध मण्डल के उक्त निर्णय की अनुपालना में सत्र 2015–16 से 2019–20 तक प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क व परीक्षा शुल्क में नियमित 15% की समान दर से वृद्धि की गई।

उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय– जयपुर द्वारा *S.B. Civil Writ Petition No. 27384/2018 Pvt. Physio., Nursing & Para Medical Institutions Society of Jaipur & ors. V/s RUHS & ors* में दिनांक 17.12.2018 को पारित आदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 में गत सत्र की तुलना में की गई 15% की फीस वृद्धि पर स्थगन प्रदान करते हुए महाविद्यालयों को सत्र 2018–19 के अनुसार ही सम्बद्धता शुल्क जमा कराने का आदेश दिया गया। फलस्वरूप अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु गत शैक्षणिक सत्र 2018–19 के समान ही सम्बद्धता शुल्क वि.वि. में जमा करवाया गया है। हालांकि उक्त रिट याचिका वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिस पर अंतिम निर्णय अभी शेष है।

अतः विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति एवं भावी वित्तीय संकट के आकलन के दृष्टिगत वि.वि. की आय के एक प्रमुख स्त्रोत "सम्बद्धता शुल्क" को सत्र 2020–21 व आगामी शैक्षणिक सत्रों हेतु निर्धारित किये जाने हेतु प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा की गई कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में जो प्रतिवर्ष 15% की फीस वृद्धि का निर्णय लिया गया था, वह विश्वविद्यालय के आय–व्यय की गणना को ध्यान में रखकर तथा राज्य सरकार से किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान/गेप फण्डिंग प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप लिया गया था। सदन को यह अवगत कराया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2018 को पारित आदेश में शैक्षणिक सत्र 2019–20 की सम्बद्धता शुल्क हेतु वि.वि. द्वारा जारी आदेश दि. 04.12.2018 पर स्थगन प्रदान किया गया है जो कि एक सत्र विशेष हेतु प्रभावी है। विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया शैक्षणिक सत्र 2020–21 के सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण 2019–20 हेतु निर्धारित किये गये शुल्क की तुलना में 15 प्रतिशत की बढोतरी की जाकर किया जावे।**

माननीय न्यायालय में लंबित उक्त याचिका में विश्वविद्यालय का पक्ष मजबूती से रखा जाकर माननीय न्यायालय से उक्त स्थगन आदेश दिनांक 17.12.2018 को अपास्त कराये जाने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। माननीय न्यायालय के स्तर से उक्त याचिका में आवश्यक निर्णय होने के उपरान्त सत्र 2019–20 की सम्बद्धता शुल्क की शेष राशि संबंधित महाविद्यालयों से प्राप्त किये जाने अथवा रिफण्ड/समायोजन (जैसा प्रकरण हो) किये जाने का निर्णय भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।

बिन्दु सं 32 विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में चिकित्सक शिक्षकों/रेजीडेन्ट्स/अशैक्षणिक अधिकारियों व कार्मिकों/रिसर्च प्रोजेक्ट्स इत्यादि में तत्काल/अस्थायी आधार पर भर्ती हेतु गठित चयन समिति का पुनर्गठन किये जाने के संबंध में :–

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेशांक 23501 दिनांक 17.02.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में चिकित्सक शिक्षकों/रेजीडेन्ट्स/अशैक्षणिक अधिकारियों व कार्मिकों/रिसर्च प्रोजेक्ट्स इत्यादि में तत्काल/अस्थायी आधार पर स्वीकृत रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में की जाने वाली सम्पूर्ण कार्यवाही (वाक–इन–इंटरव्यू/साक्षात्कार/नियुक्ति इत्यादि) हेतु एक चयन समिति को गठन किया गया। **(अनुलग्नक–1)** उक्त चयन समिति के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने पर उक्त चयन समिति के पुनर्गठन के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। उक्त बैठक के टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 02 में उक्त प्रस्ताव के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर पर ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। **(अनुलग्नक–2)** प्रबन्ध मण्डल में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में प्रति–कुलपति महोदय के द्वारा प्रस्तावित नवीन कमेटी निम्नानुसार है :–

1. प्रति कुलपति, राज.स्वा.वि.वि. – चैयरमेन
2. प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर – सदस्य सचिव
3. डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर – सदस्य
4. डीन फैकल्टी ऑफ डेन्टल, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर – सदस्य

विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में चिकित्सक शिक्षकों/रेजीडेन्ट्स/अशैक्षणिक अधिकारियों व कार्मिकों/रिसर्च प्रोजेक्ट्स इत्यादि में तत्काल/अस्थायी आधार पर भर्ती हेतु गठित चयन समिति का पुनर्गठन किये जाने अथवा राजकीय मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर तत्काल एवं अस्थायी आधार पर नियुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को अधिकृत किये जाने के संबंध प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में चिकित्सक शिक्षकों/रेजीडेन्ट्स/अशैक्षणिक अधिकारियों व कार्मिकों/रिसर्च प्रोजेक्ट्स इत्यादि में तत्काल/अस्थायी आधार पर भर्ती हेतु चयन समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया :–**

1. **प्रति कुलपति, राज.स्वा.वि.वि. – चैयरमेन**
2. **प्रधानाचार्य, संबंधित संघटक महाविद्यालय, जयपुर – सदस्य सचिव**
3. **डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर – सदस्य**
4. **डीन फैकल्टी ऑफ डेन्टल, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर – सदस्य**
5. **उप कुलसचिव (संस्थापन), राज.स्वा.वि.वि., जयपुर – सदस्य (केवल अशैक्षणिक प्रकरणों में)**

बिन्दु सं 33 राजभवन के आदेश से गठित "एडवाईजरी ग्रुप" की बैठक दिनांक 19.05.2016 एवं "ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार्स" की बैठक दिनांक 24.05.2016 व 16.06.2016 की अनुशंषा/सिफारिशों के संबंध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28.09.2016 में गठित कमेटी की अनुशंषा पर विचार–विमर्श:–

राजभवन के आदेशांक 3391 दिनांक 03.05.2016 द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा से जुडे विभिन्न बिन्दुओं/समस्याओं पर विचार कर अपने सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु कुलपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, निदेशक, एम.एन.आई.टी–जयपुर एवं कुलपति–जे.एन.यू., जोधपुर को सम्मिलिति करते हुए एक "एडवाईजरी ग्रुप" का गठन किया गया था। उक्त "एडवाईजरी ग्रुप" की रिपोर्ट दिनांक 19.05.2016 पर कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21.07.2016 में चर्चा की गई एवं समस्त विश्वविद्यालयों से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। राज.स्वा.वि.वि. द्वारा भी उक्त रिपोर्ट पर टिप्पणी/सुझाव राजभवन को प्रेषित किये जाने है।

विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु योग्यताओं का निर्धारण व भर्ती नियमों तथा सेवानियमों की समीक्षा के संबंध में राजभवन द्वारा "ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार्स" का गठन किया गया

था। उक्तानुसार "ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार्स" द्वारा दो चरणों में (दि. 24.05.2016 व 16.06.2016) प्रस्तुत रिपोर्ट को समस्त विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया गया है। उक्त "ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार्स" की रिपोर्ट पर कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21.07.2016 में चर्चा की गई एवं समस्त विश्वविद्यालयों से टिप्पणी आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। राज.स्वा.वि.वि. द्वारा भी उक्त रिपोर्ट पर टिप्पणी/सुझाव राजभवन को प्रेषित किये जाने है।

उपरोक्त प्रकरण पर वि.वि. की प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28.09.2016 में चर्चा की जाकर वि.वि. के प्रतिकुलपति महोदय की अध्यक्षता में समस्त संकायाध्यक्षों की समिति गठित की गई। प्रबन्ध मण्डल द्वारा गठित उक्त समिति की बैठक दिनांक 30.11.2016 विचार–विमर्श एवं आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **राजभवन के आदेश से गठित "एडवाईजरी ग्रुप" की बैठक दिनांक 19.05.2016 एवं "ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार्स" की बैठक दिनांक 24.05.2016 व 16.06.2016 की अनुशंषा/सिफारिशों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28.09.2016 में गठित कमेटी की अनुशंषा दि. 30.11.2016 पर विचार–विमर्श किया गया, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 34 परीक्षा नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. के पद हेतु ग्रेड पे 6800/– से 7600/– किये जाने के सम्बन्ध में।

चिकित्सा शिक्षा ग्रुप–1 विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 27(41)एम.ई./ग्रुप–1/91 दिनांक 09.11.2004 द्वारा परीक्षा नियन्त्रक का पद स्वीकृत करते हुये वेतनमान 12000–16500 (अर्थात 15600–39100 ग्रेड पे 7600/–) निर्धारित करते हुये स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति में ही कुलसचिव व वित्त नियत्रंक पद का वेतनमान भी वेतनमान 12000–16500 निर्धारित कर स्वीकृति प्रदान की गई थी। चिकित्सा शिक्षा ग्रुप–1 विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 16(41)एम.ई./ग्रुप–1/91 दिनांक 04.04.2011 द्वारा परीक्षा नियन्त्रक के पद की भर्ती की स्वीकृत प्रदान करते हुये वेतनमान 10650–15850 (अर्थात 15600–39100 ग्रेड पे 6800/–) निर्धारित करते हुये स्वीकृति प्रदान की गई। श्री अनिल कुमार काजला, परीक्षा नियन्त्रक द्वारा दिये जा रहे वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे 6800/– का संशोधित किये जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प. **No. 1-32/2006-U.II/U.1(ii)** दिनांक 31.12.2008 द्वारा परीक्षा नियन्त्रक का वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे 10000/– है तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर के विज्ञप्ति दिनांक 13.01.2017 तथा राजस्थान वेटेनरी व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विज्ञप्ति दिनांक 26.02.2013 द्वारा परीक्षा नियत्रंक की जारी भर्ती विज्ञप्ति में 37400–67000 ग्रेड पे 10000/– है। उक्तानुसार विश्वविद्यालय में परीक्षा नियत्रंक पद के वर्तमान में निर्धारित किये गये वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे 6800/– के अगले स्टेज वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे 7600/– किये जाने हेतु पत्रावली पर लेखा शाखा की राय के अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

अतः विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक पद के वर्तमान वेतनमान को बढाकर 15600–39100 ग्रेड पे 7600/– किये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. के पद हेतु ग्रेड पे 6800/– से 7600/– किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई। प्रबन्ध मण्डल की सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।**

बिन्दु सं 35 वरिष्ठ महाधिवक्ता एवं महाधिवक्ता को फीस का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में:–

A. एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 328/2018 डॉ. श्वेता मंगल बनाम् स्टेट व अन्य के प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एन. माथुर द्वारा प्रेषित फीस बिल के भुगतान के संबंध में :–

एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 328/2018 डॉ. श्वेता मंगल बनाम् स्टेट व अन्य का प्रकरण विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पदों की भर्ती–2015 से संबंधित है। उक्त प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एन. माथुर को विश्वविद्यालय की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एन. माथुर द्वारा राशि रू. 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) का बिल फीस के रूप भुगतान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त बिल के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

B. महाधिवक्ता, राजस्थान से प्राप्त विधिक राय के क्रम में प्राप्त हुए बिलों का भुगतान किये जाने के संबंध में :–

राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ.1(39)आरबी/1996 पार्ट 1/920 दिनांक 28.01.2019 के द्वारा विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को चालू करने संबंधी प्रकरण पर महाधिवक्ता, राजस्थान से राय प्राप्त कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में महाधिवक्ता, राजस्थान को विश्वविद्यालय का पत्रांक 21969 दिनांक 31.01.2019 प्रेषित कर विधिक राय प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में महाधिवक्ता, राजस्थान से प्राप्त विधिक राय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन को विश्वविद्यालय के पत्रांक 22299 दिनांक 05.02.219 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। उक्त विधिक राय के संबंध में श्री एम.एस. सिंघवी, महाधिवक्ता, राजस्थान एवं उनके आशुलिपिक श्री राधेश्याम जैन के द्वारा निम्नांकित बिल भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को प्रेषित किये गये :–

क्र.सं.	बिल दिनांक	राशि	मद का विवरण
01	04.02.2019	1,50,000.00	Fee for extending legal opinion in the matter
02	27/04.02.2019	800.00	Dictation and typing charges of draft and final legal opinion in the oforesaid matter

निर्देशानुसार श्री एम.एस. सिंघवी, महाधिवक्ता, राजस्थान एवं उनके आशुलिपिक को उक्त विधिक राय के संबंध में प्राप्त बिलों का भुगतान किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की संचलन के माध्यम से आयोजित 122वीं बैठक दिनांक 25.06.2019 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। उक्त बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 02 में उक्त प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा टिप्पणी के माध्यम से विश्वविद्यालय को महाधिवक्ता की विधिक राय के देय फीस बिल के भुगतान के संबंध में विधि विभाग से राय प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का परामर्श दिया गया। अतः प्रबन्ध मण्डल के अन्य सदस्यों से प्राप्त सहमति तथा सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा टिप्पणी के अनुसार महाधिवक्ता की विधिक राय के देय फीस बिल के भुगतान के संबंध में विधि विभाग से राय प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।"

प्रबन्ध मण्डल में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज. सरकार को विश्वविद्यालय का पत्रांक 10048 दिनांक 13.08.2019 प्रेषित कर महाधिवक्ता, राजस्थान से प्राप्त विधिक राय के क्रम में प्राप्त हुए बिलों का भुगतान किये जाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में विधि विभाग, राज. सरकार का संदर्भित पत्रांक प्राप्त हुआ। उक्त पत्रानुसार – ***"It is hereby informed that the legal opinion of the Ld.***

Advocate General of the Government of Rajasthan is regulated by order no. F.15(12)RAJ/VAD/6/PART Jaipur (as amended on 22-07-2015). Since Rajasthan University of Health Sciences is an autonomous body, the said orders are as such note applicable to it. <u>You are there for informed to take appropriate decision on the legal opinion fee bills of the Ld. Advocate General and his Stenographer as agreed upon/claimed by him, at your own level."</u>

अतः महाधिवक्ता, राजस्थान से विधिक राय के क्रम में प्राप्त हुए बिलों का भुगतान किये जाने के संबंध में विधि विभाग, राज. सरकार से प्राप्त उक्त मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

C. **एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 26010/2018 डॉ असरार अहमद बनाम आरयूएचएस प्रकरण में महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा वि.वि. की ओर से की गई पैरवी के बिल के भुगतान के संबंध में:–**

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 26010/2018 डॉ असरार अहमद बनाम आरयूएचएस प्रकरण शैक्षणिक भर्ती परीक्षा 2015 के परिणाम घोषित किये जाने से सम्बन्धित है। उक्त प्रकरण में निर्देशानुसार महाधिवक्ता महोदय श्री महेन्द्र सिह सिंघवी को विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी बाबत अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में महाधिवक्ता महोदय द्वारा कुल 4,80,000/– (अक्षरे रूपये चार लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) एवं अपने सहयोगी (Junior to Adocate General) श्री शीतान्शु शर्मा के 88,000/– (अठ्ठासी हजार रूपये मात्र) के बिल भुगतान बाबत प्रेषित किये गये है (प्रति संलग्न)। महाधिवक्ता महोदय द्वारा दिनांक 14.03.2019 एवं दिनांक 11.4.2019 को प्रकरण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई गई (बिल में उल्लेखित)। यह प्रकरण वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है। अतः महाधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह सिंघवी (Advocate General) द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत बिलों के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :

A. **एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 328/2018 डॉ. श्वेता मंगल बनाम् स्टेट व अन्य के प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एन. माथुर द्वारा प्रेषित फीस बिल राशि रू. 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) का भुगतान किये जाने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।**

B. **विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को चालू करने संबंधी प्रकरण पर राजभवन के निर्देशानुसार प्राप्त की गई विधिक राय के संबंध में श्री एम.एस. सिंघवी, महाधिवक्ता, राजस्थान एवं उनके आशुलिपिक श्री राधेश्याम जैन के द्वारा प्रस्तुत फीस बिल राशि क्रमशः रू. 150000/– व रू. 800/– का भुगतान किये जाने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।**

C. **एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 26010/2018 डॉ असरार अहमद बनाम आरयूएचएस प्रकरण में महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा वि.वि. की ओर से की गई पैरवी के बिल के भुगतान के संबंध में चर्चा की गई। माननीय सदस्यों का मानना था कि महाविक्ता द्वारा प्रस्तुत बिल राशि अत्याधिक है, जो कि न तो राज्य सरकार के प्रावधानों में है और न ही अन्य विश्वविद्यालयों (जैसे राज. वि.वि.) में प्रचलित है।**

विचार विमर्श उपरान्त इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पैरवी के दौरान महाधिवक्ता की उपस्थिति एवं बहस की तिथियों को आधार मानते हुए फीस राशि में नेगोशिएशन किया जावे। नेगोशिएशन उपरान्त नेगोशिएटेड राशि का बिल पुनः प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया। सदस्यों द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि भविष्य में व.अधिवक्ता अथवा महाविवक्ता से प्रकरणों में पैरवी अथवा राय प्राप्त किये जाने से पूर्व फीस की राशि की जानकारी पैरवी/राय दिये जाने से पहले ही निश्चित की जावे।

बिन्दु सं 36 माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की फीस राशि बढाये जाने के संबंध में:–

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा/ विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण सूचीबद्ध होते है, इनमे अधिनस्थ न्यायालयों एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के भी प्रकरण विश्वविद्यालय के विरूद्ध विचाराधीन होते हैं। माननीय उच्च न्यायालयों के फीस बढोतरी के सम्बन्ध में अधिवक्ता श्री रवि चिरानिया द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा The Rajasthan Legal Service Authority notification dated 24.5.2017 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की फीस राशि एवं विविध खर्चे बढाये जाने का उल्लेख किया है (पत्र की प्रति संलग्न)। प्रकरण में पत्रावली पर अन्य विश्वविद्यालयों से compare करने के निर्देश प्राप्त हुए जिसकी पालना में फीस नियमावली भिजवाने बाबत विश्वविद्यालय के अधिकारियों से प्रभारी अधिकारी विधि द्वारा मौखिक वार्ता की गई किन्तु जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा ही अधिवक्ता श्री रवि चिरानिया के माध्यम से फीस नियमावली प्राप्त हुई जिसे अधिवक्ता श्री रवि चिरानिया द्वारा ई–मेल दिनांक 17.6.2019 द्वारा प्रेषित किया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर के अधिवक्ता की फीस राशि बढाये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में पेनल अधिवक्ताओं हेतु निर्धारित फीस राशि उचित है, जिसमें वर्तमान परिपेक्ष्य में वृद्धि की जानी आवश्यक नहीं है।** विचार–विमर्श उपरान्त उक्त प्रस्ताव को डेफर (Defer)किया गया।

बिन्दु सं 37 विश्वविद्यालय की ARDU एवं Executive Committee (Research Projects) से अनुमोदित रिसर्च प्रोजेक्ट्स का रिसर्च बोर्ड से अनुमोदन उपरान्त रिसर्च प्रोजेक्ट्स हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में वि.वि. की प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन हेतुः–

विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च प्रोजेक्ट्स हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करने के संबंध में नियमावली (RUHS Guidelines for the Operation of Projects funded by RUHS) के बिन्दु सं. 3.2 (Research Proposal recommended by ARDU of University will be placed before the EC-RP for approval and then in the Research Board for its final approval) के अनुसार विश्वविद्यालय में प्राप्त निम्न रिसर्च प्रोजेक्ट्स का विश्वविद्यालय की ARDU एवं Executive Committee (Research Projects) से परीक्षण एवं अनुमोदन उपरान्त निम्न आठ रिसर्च प्रोजेक्ट्स का रिसर्च बोर्ड से अनुमोदन किया जा चुका है, एवं इन प्रस्तावों को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करने हेतु निर्देशानुसार एजेण्डा प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैः–

S.No.	Title of Research Project	Name of Principal Investigator	Approved Amount	Recommended by EC-RP on	Approved by Research Board on
1.	Detection and Genotyping of Human Papillomavirus from cervical samples in clinically symptomatic women in Rajasthan: multicentric study	Dr. Ekadashi Rajni, Asst. Professor, Deptt. of Microbiology, RUHS College of Medidcal Sciences, Jaipur	12,84,104/-	27-06-2018	29-10-2018
2.	Elucidation of plasma concentrations of morphine, its metabolites and endorphins in cancer patients and their correlation with pain	Dr. Ashwin Mathur, Professor, Deptt. of Medicine, S.M.S. Medical College, Jaipur	2,50,000/-	27-06-2018	29-10-2018
3.	Circulating tumour DNA as a non-invasive prognostic marker to monitor the therapy response in gallbladder cancer patients	Dr. Arpita Jindal, Professor, Deptt. of Pathology, S.M.S. Medical College, Jaipur	3,90,000/-	27-06-2018	29-10-2018

4.	Evaluation of cell free DNA (cf DNA) as a clinical biomarker in effective management of breast cancer	Dr. Ranjana Solanki, Professor, Deptt. of Pathology, S.M.S. Medical College, Jaipur	4,11,088/-	27-06-2018	29-10-2018
5.	Investigation of role of radiation-induced bystander effects in radiation toxicity during radiotherapy treatment	Ms. Rajni Verma, Astt. Professor, Deptt. of Radiological Phyisics, S.M.S. Medical College, Jaipur	1,00,000/-	27-06-2018	29-10-2018
6.	To Assess the physical fitness of school children and to determine the association of muscle strength with dynamoetry and cardiorespiratory fitness indirectly measured vo2 max by the queen's college step test	Dr. Mahima Sharma, Tutor, Deptt. of Physiology, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur	4,35,880/-	27-06-2018	29-10-2018
7.	To Investigate the influence of gut microbiota composition on inflammatory markers in dyslipidemic subject on statin therapy	Dr. Priyanka Jain, Tutor, Deptt. of Biochemistry, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur	7,67,000/-	27-06-2018	29-10-2018
8.	A Cross Sectional Study on Throat Microbiome in Subjects with subclinical Rheumatic Heart Disease or Clinical Rheumatic heart Disease and Comparing it with Normal Healthy subjects of <40 years age	Dr. Anjali Gupta, Professor, Deptt. of Microbiology, S.P. Medical College, Bikaner	10,00,000/-	26-11-2018	05-01-2019

निर्णय : **ARDU एवं Executive Committee (Research Projects) से परीक्षण एवं अनुमोदित उपरोक्त रिसर्च प्रोजेक्ट्स हेतु वांछित राशि विश्वविद्यालय कोष से प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई। सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा यह सुझाव दिया कि उक्त राशि को अनुपातिक रूप में मितव्ययता की शर्तों के साथ जारी किया जावे ताकि विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार एकसाथ नहीं आवे। इस संबंध में समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में यदि वि.वि. पर वित्तीय संकट आता है तो उक्त राशि को कम किया जा सकता है।**

वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा बताया गया कि रिसर्च हेतु विश्वविद्यालय के बजट में पृथक से राशि का प्रावधान किया जाता है जिसके तहत उपरोक्त रिसर्च प्रोजेक्ट्स की राशि स्वीकृत की जावेगी।

बिन्दु सं 38 **डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 1410/2017 आरयूएचएस बनाम डॉ. शिव प्रकाश शर्मा तथा अन्य समान 22 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना के संबंध में :–**

पूर्व में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 17119/2016 डॉ. शिव प्रकाश शर्मा बनाम स्टेट व अन्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किये गये :–

"Accordingly the petitioner is entitled to full salary for the period of probation : subject to adjudication on the SLP pending before the Apex Court of the land which would govern the rights of the parties."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नं. 1410/2017 दायर किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय

द्वारा दिनांक 02.11.2017 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :–

"The decision in Gopal Kumawat's case is currently awaiting decision before the Supreme Court. <u>But stay has not been granted</u>. Meaning thereby till the decision is not reversed by the Supreme Court, law declared in Gopal Kumawat's by this court would hold the field. The writ appeal is dismissed."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2017 के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु पूर्व में विश्वविद्यालय के पत्रांक 22335 दिनांक 22.01.2018, 1840 दिनांक 09.05.2019 एवं 3370 दिनांक 25.05.2019 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार से अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 25.05.2019 के क्रम में निदेशालय का पत्रांक 2701 दिनांक 13.06.2019 के द्वारा प्रकरण में हुए निर्णय दिनांक 02.11.2017 पर राजकीय अधिवक्ता की राय प्राप्त कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। राज्य सरकार के उक्त पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय पैनल अधिवक्ता श्री एम.ए. खान से प्राप्त विधिक राय दिनांक 24.07.2019 राज्य सरकार को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है। पेनल अधिवक्ता की राय निम्नानुसार है :–

".....Therefore, in my opinion, there is no need to file SLP before the apex court in the present matter. Decision of the Apex Court in Gopal Kumawat's case will also apply in the present case."

यहां उल्लेखनीय है कि डॉ. शिव कुमार शर्मा द्वारा बार–बार विश्वविद्यालय को स्मरण पत्र प्रेषित कर माननीय न्यायालय के आदेश की पालना किये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है किन्तु राज्य सरकार से मार्गदर्शन के अभाव में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना अभी तक नही हो पायी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नही होने की स्थिति में विश्वविद्यालय पर माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना लगने की संभावना है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 14669/2017 श्रीमति मंजू जैन बनाम आरयूएचएस व अन्य संबंधित समान 21 प्रकरण जो कि परीविक्षा अवधि में पूर्ण वेतन दिये जाने से संबंधित है, के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच ने दिनांक 22.11.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है :–

"Accordingly the petitioner is entitled to full salary for the period of probation : subject to adjudication on the SLP pending before the Apex Court of the land which would govern the rights of the parties."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने हेतु पूर्व में विश्वविद्यालय का पत्रांक 26191 दिनांक 24.03.2018 द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया किन्तु प्रत्यूत्तर आज दिनांक तक अपेक्षित है।

श्री सुरेश गुर्जर, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बैंच का विधिक **प्री–कन्टेम्ट नोटिस** दिनांक 14.08.2019 भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 की पालना हेतु विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। अतः डॉ. शिव प्रकाश शर्मा व अन्य समान 22 प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **उक्त प्रकरण पर विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों की पालना में राज्य सरकार के स्तर से शीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे ताकि अग्रिम आवश्यक पालना की जाके। राज्य सरकार के स्तर से गोपाल कुमावत प्रकरण में वस्तुस्थिति/स्टे आदि की जानकारी भी प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**

बिन्दु सं 39 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) स्वीकृत किये जाने संबंधी सभी प्रकरणों में एकरूपता रखते हुए प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष पुनर्विचार (Review) किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 18.10.2006 में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के स्टेट्यूटस/ऑर्डिनेन्स धारित किये गये है। राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 37 के प्रावधानान्तर्गत माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी की बैठक दिनांक 28.02.2018 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी यथा – डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य, डॉ. शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ प्रदर्शक, डॉ. अनुपमा गौड़, सहायक आचार्य एवं सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–।। को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में सर्वसम्मति से कमेटी सदस्यों ने निम्नानुसार अपनी अनुशंषा व्यक्त की है :–

"राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अन्तर्गत भी शिथिलता प्रदान की जा सकती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के उपरोक्त नियमों के नियम 42 के नीचे दिये गये परन्तुक के अनुसार – "Notwithstanding anything mentioned above, the syndicate shall have the power to relax these rules in special cases and grant such leave as it may deem fit for reasons to be recorded in writing."

अतः संबंधित प्रकरणों में नियमों में शिथिलता दिये जाने हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक के समक्ष रखा जाना उचित होगा। प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।"

कमेटी द्वारा की गई उपरोक्त अनुशंषा के क्रम में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी के नियम 37 के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा गया। प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 के बिन्दु संख्या 16 में उक्त प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

"विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी – डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य, डॉ. शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ प्रदर्शक, डॉ. अनुपमा गौड़, सहायक आचार्य एवं सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–।। को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के प्रकरणों में राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 37 के अनुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।

सदन को अवगत कराया गया कि उक्त सभी प्रकरणों में जो अध्ययन अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है वह विश्वविद्यालय हित में ही है क्योंकि ये सभी पाठ्यक्रम संबंधित कार्मिक/चिकित्सक के वर्तमान पद के कर्त्तव्यों से जुड़े हुए हैं एवं इस अध्ययन से संबंधित कार्मिक/चिकित्सक को निपुणता प्राप्त होगी। इन तथ्यों के दृष्टिगत प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रकरणों के लिए ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 37 में सेवा अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपस्थित अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में भी 'राजस्थान सेवा नियमों (RSR)' के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी उचित होगी। उन्होंने बताया कि 'राजस्थान सेवा नियमों (RSR)' के प्रावधानों के साथ अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में लागू की जाने वाली 'अन्य शर्तों' का निर्धारण भी विश्वविद्यालय की सेवा एवं कार्यव्यवस्था को ध्यान में रखते किया जाना चाहिए।

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 'राजस्थान सेवा नियमों (RSR)' के अतिरिक्त अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में लागू की जाने वाली 'अन्य शर्तें' विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित की जाकर इनका आवश्यक समावेश विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियमों में भी किया जावे। "

प्रबन्ध मण्डल में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में अध्ययन से संबंधित कार्मिकों/चिकित्सकों को ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 37 में वर्णित सेवा अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने संबधी प्रकरण पर विश्वविद्यालय की लेखा शाखा द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी की गई है :–

"पत्रावली पर आये तथ्यों से जानकारी होती है कि आरयूएचएस द्वारा अभी तक 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले कार्मिकों को ही सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है एवं 05 वर्षो से कम सेवाकाल वाले कार्मिकों को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। संदर्भित प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल से शिथिलन लेकर 05 वर्ष के सेवाकाल से कम वालों को भी सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने का प्रस्ताव है जो आरयूएचएस के हित में नही है क्योंकि इससे आरयूएचएस की कार्यप्रणाली में एकरूपता नही रहेगी तथा पूर्व में जिनकों अवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है वो कार्मिक भी संशोधित आदेश जारी करने की मांग कर सकते है। अतः आरयूएचएस को सभी प्रकरणों में एकरूपता रखते हुए ही अध्ययन अवकाश सवैतनिक/अवैतनिक का निर्णय किया जाना अपेक्षित है।"

यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के Section-C के नियम–37 (Study Leave) के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश के प्रावधान निम्नानुसार है :–

Study Leave : 37.

(I) Study leave may be granted to a teacher so as to enable him to undertake research/higher studies or specialised training in the subject having a direct and close connection with his sphere of duties and thus likely to increase his usefulness to the University. Normally, it will be granted before the commencement of the academic session or at the convenient time during the session so that teaching work in the University does not suffer.

(II) A teacher (excluding a temporary teacher) may be granted study leave provided he has rendered five years continuous service in any department/ Faculty/Institution/College/Unit of University of Rajasthan on the date of application.

Explanation: *Five years of continuous service of a teacher in the University shall include the period of probation.*

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के Section-C के नियम–37 (Study Leave) के उपनियम X(i) के अन्तर्गत अवकाश वेतन (Leave Salary) के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित है :–

A teacher who is granted Study Leave will be entitled to leave salary as per norms prescribed below :-

(i) For Study Leave up to a period of 02 years – Full Pay.

(ii) For Study Leave for next one year – Half Pay.

(iii) For Study Leave for further next year – without pay; for the purpose of this calculation the entire study leave period taken at different times in Service period will be reckoned.

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सेवा नियमों (RSR) के Section-VI में नियम 110 (1) के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित है :–

"Study leave will be admissible to a permanent Government servant to purpose course of study or investigation of a scientific or technical nature which in the opinion of the sanctioning authority is considered necessary in the public interest for the working of the department in which he is employed. It will ordinarily be not granted to a Government servant who has completed 20 years of service or more."

अतः लेखा शाखा द्वारा की गई उक्त टिप्पणी एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) स्वीकृत किये जाने संबंधी सभी प्रकरणों में एकरूपता रखते हुए ही अध्ययन अवकाश सवैतनिक प्रदान किया जाना है अथवा अवैतनिक, के संबंध में निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष पुनर्विचार (Review) हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) के उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रकरण कमेटी द्वारा पुनः अध्ययन किया जावे। कमेटी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक कारण सहित अनुशंषा की जाकर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे कि प्रबन्ध मण्डल से क्या शिथिलता प्राप्त की जानी है। किन–किन प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की जानी है, इसका भी कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जावे।**

भविष्य में ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सेवानियमों के तहत ही किये जाने का निर्णय भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।

बिन्दु सं 40 विश्वविद्यालय, इसके संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को समय–समय पर राज्य सरकार के नियमों/आदेशों की तर्ज पर विभिन्न प्रकार के अवकाश लागू किये जाने के संबंध में :–

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 के बिन्दु सं. 18 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था "राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों व आदेशों के अनुसार ही विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को समय–समय पर देय विभिन्न प्रकार के अवकाश (यथा–मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश एवं चाईल्ड केयर अवकाश इत्यादि) के संबंध में कार्यवाही हेतु संबंधित प्रधानाचार्य को ही अधिकृत किया गया है। अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि कार्यव्यवस्था को सुचारू रूप से गतिमान रखने हेतु विश्वविद्यालय में ऐसे अवकाशों को स्वीकृत किये जाने के लिए कतिपय शर्तो का निर्धारण किया जाना आवश्यक है जिससे ऐसे अवकाशों के दौरान विश्वविद्यालय का कार्य बाधित नहीं हो।

विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 में विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को समय–समय पर राज्य सरकार के नियमों/आदेशों की तर्ज पर विभिन्न प्रकार के अवकाश (यथा–मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश एवं चाईल्ड केयर अवकाश इत्यादि) के संबंध लागू किये जाने वाले प्रावधानों का विस्तृत परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी की एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत करेगी।" प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 18532 दिनांक 15.12.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा "कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी" कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक दिनांक 03.06.2019 को आयोजित की गई, जिसका कार्यवाही विवरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय, इसके संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को समय–समय पर राज्य सरकार के नियमों/आदेशों की तर्ज पर विभिन्न प्रकार के अवकाश लागू किये जाने के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2019 पर चर्चा की गई। विचार–विमर्श उपरान्त उक्त एजेण्डा के डेफर (Defer) किया गया।**

बिन्दु सं 41 सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाओं के वेतन भुगतान हेतु कमेटी की बैठक दिनांक 24.06.2019 पर विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय/अनुमोदनार्थ :–

विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर निदेशालय चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प 1(59)संस्था/डीएमई/पार्ट/471 जयपुर दिनांक 05.02.2016 तथा पत्रांक 5463 दिनांक 02.08.2016 के क्रम में श्री राधेश्याम मल्होत्रा, श्री प्रहलाद नारायण माथुर एवं श्री एन.बी. जोशी को पुर्ननियुक्ति सेवायें प्रथम एक वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होते अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक पुर्ननियुक्ति प्रदान की गई थी, कार्मिकों की पुर्ननियुक्ति की एक वर्ष की समाप्त हुई समायावधि को एक वर्ष के लिए पुनः राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 1(59)डीएमई/ पार्ट/2015 पार्ट/160 जयपुर दिनांक 10.01.2018 द्वारा समयावधि बढाई गई, पुनः एक वर्ष बढाई गई समयावधि समाप्त होने को दृष्टिगत विश्वविद्यालय के पत्रांक 15762 दिनांक 01.11.18 के द्वारा राज्य सरकार से निवेदन किया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक के एजेण्डा सं. 22.09.2017 के बिन्दु सं. 15 के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए"। कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 17(10)कार्मिक/क–2/ए–II/94 जयपुर दिनांक 08.02.18 के अनुसार समयावधि की स्वीकृति प्रेषित प्रस्ताव पत्र दिनांक 01.11.18 के क्रम में अति. निदेशक–प्रशा., राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प. 1(59)डीएमई/2018 पार्ट/6325 जयपुर दिनांक 18.12.2018 द्वारा "कार्मिक विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति हेतु समय–समय पर परिपत्र जारी किए जाते रहे है। वर्तमान में कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 17(10)कार्मिक/क–2/ए–II/94 जयपुर दिनांक 08.02.18 प्रभावी है। इसका बिन्दु सं. 4 इस प्रकार है:– "(4) सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत्त हुआ है उस ही कैडर में रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होगे"। उक्त तीनों सेवानिवृत्त कार्मिकों का सेवानिवृत्ति के समय कैडर पर विश्वविद्यालय में पुर्ननियुक्त कैडर भिन्न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा समयावधि नहीं बढाई गई।

तीनों सेवानिवृत्त कार्मिकों की समयावधि के संबंध में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उनके सम्मुख समयावधि तक कार्य किया गया है, राज्य सरकार द्वारा समयावधि नहीं बढाये जाने के कारण उक्त उल्लेखित समयावधि का वेतन भुगतान भी नहीं किया गया है:–

क्र.सं.	सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम	समाप्त हुई समयावधि	उपस्थिति पंजिका में अंकित हस्ताक्षर
1.	श्री राधेश्याम मल्हौत्रा, अनुभागाधिकारी	09.11.2018	09.11.18 से 19.03.19
2.	श्री प्रहलाद नारायण माथुर, वरिष्ठ लिपिक	09.12.2018	09.12.18 से 19.03.19
3.	श्री एन.बी.जोशी, कनिष्ठ लिपिक	10.11.2018	10.11.18 से 19.03.19

श्री राधेश्याम मल्हौत्रा, श्री प्रहलाद नारायण माथुर व श्री एन.बी.जोशी की राज्य सरकार द्वारा बढाई गई समयावधि को समाप्त होने के बाद तालिका में उल्लेखितानुसार/उनके सम्मुख अंकित समयावधि में विश्वविद्यालय में हुये उपस्थिति की समयावधि बढाये जाने तथा उक्त अवधि का भुगतान किये जाने के संबंध में सम्पूर्ण वस्तुत स्थिति अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 3071 दिनांक 25.05.2019 द्वारा गठित कमेटी गठित की गई, गठित की गई कमेटी की बैठक दिनांक 24.06.2019 के बैठक में की गई अनुशंषा/ कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **उक्त प्रकरण के संबंध में सदन को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में गठित की गई कमेटी की बैठक दिनांक 24.06.2019 में की गई अनुशंषा का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 42 प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत श्रीमति सारिका यादव, शारीरिक शिक्षक श्रेणी–।।। को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत पीटीआई के रिक्त पद के विरूद्ध विश्वविद्यालय निधि से वेतन भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं प्रतिनियुक्ति को निरन्तर रखे जाने के संबंध में।

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर हेतु 01 पी.टी.आई. के नवीन पद सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2014 में प्रदान की गई थी। प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.09.2017 (टेबल एजेण्डा 5) में उक्त पद को नियमित नियुक्ति होने तक एम.सी.आई. निरीक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा श्रीमति सारिका यादव, पीटीआई (9300–34800 ग्रेड–पे 3600), राजकीय माध्यमिक विद्यालय, प्रताप नगर, जयपुर को राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में

पीटीआई के स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पद लगाया गया। उल्लेखनीय है कि पद सृजन की स्वीकृति में वर्णित शर्त के अनुसार उक्त पद की ग्रेड–पे का निर्धारण वित्त (नियम) विभाग से कराया जाना वर्तमान में शेष है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवा नियमों के अनुमोदन की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार से अनुमोदन उपरान्त ही स्वीकृत पीटीआई के पद को विश्वविद्यालय के सेवा नियमों में सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया उपरान्त ही उक्त स्वीकृत पद का ग्रेड पे का निर्धारण वित्त (नियम) विभाग से करवाया जावेगा।

अतः एम.सी.आई. के नियमों की आवश्यकता एवं महाविद्यालय में पी.टी.आई. की आवश्यकता के दृष्टिगत श्रीमति सारिका यादव, पीटीआई (9300–34800 ग्रेड–पे 3600) की प्रतिनियुक्ति आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत पीटीआई के रिक्त पद के विरूद्ध जारी रखते हुए (नियमित नियुक्ति होने तक) विश्वविद्यालय निधि से वेतन भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रकरण पर विचार–विमर्श उपरान्त श्रीमति सारिका यादव, पीटीआई (9300–34800 ग्रेड–पे 3600) की प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्वीकृत पीटीआई के रिक्त पद के विरूद्ध जारी रखते हुए विश्वविद्यालय निधि से वेतन भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के उक्त पद को "प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद" के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु राज्य सरकार से आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित किया जावे। उक्त प्रस्ताव में महाविद्यालय के पीटीआई पद की ग्रेड–पे निर्धारित किये जाने हेतु भी निवेदन किये जाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।**

बिन्दु सं 43 विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को आवास आवंटन के संबंध में अब तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति एवं आवास आवंटन कमेटी के अब तक के विभिन्न बैठक कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन कराये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेशांक 17645 दिनांक 16.12.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को आवास आवंटन के संबंध में नियमों व आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार किये जाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया।
चूंकि आवास आवंटन संबंधी नियमों का प्रारूप तैयार कर प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदित कराने में काफी समय लगना स्वाभाविक था। साथ ही निर्मित आवासों के लम्बे समय तक रिक्त पड़े रहने से उनके रख–रखाब की समस्या, विश्वविद्यालय को प्रतिमाह होने वाली वित्तीय हानि एवं विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को आवास आवंटन की अत्यन्त आवश्यकता के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त उक्त कमेटी को ही आवास आवंटन के संबंध में आवश्यक निर्णय लेकर शीघ्र अपने स्तर पर ही कार्मिकों को आवास आवंटन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात आवास आवंटन कमेटी ने दिनांक 06.03.2018 एवं 15.03.2018 को बैठक आयोजित कर कार्मिकों को आवास आवंटन किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। कमेटी में लिये गये निर्णयों/अनुशंषा के क्रम में प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कार्यालय आदेशांक 19120 दिनांक 15.03.2018 के द्वारा विभिन्न अशैक्षणिक कार्मिकों को आवास आवंटित किया गया।

अतः विश्वविद्यालय आवास आवंटन के संबंध में अब तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति एवं आवास आवंटन कमेटी की दिनांक 03.01.2018, 06.03.2018, 15.03.2018, 23.03.2018, 06.08.2018 एवं 17.06.2019 के बैठक कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा आवास आवंटन कमेटी की उपरोक्तानुसार विभिन्न बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 44 संस्थापन शाखा से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में :–

विश्वविद्यालय की संस्थापन शाखा से संबंधित निम्नलिखित प्रकरणों पर प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर कार्यवाही सम्पादित की गई है। अतः निम्नलिखित कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल की **कार्योत्तर स्वीकृति** वांछित है :–

A. विश्वविद्यालय के **पत्र क. 14834 दि. 25.10.2018** द्वारा अति. निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार को राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी (UTB) आधार पर कार्यरत **डॉ. अंकिता अग्रवाल**, वरिष्ठ प्रदर्शक की कार्य समयावधि, अंतिम कार्यावधि दिनांक 11.12.2018 से आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान कराने हेतु संबंधित प्रधानाचार्य की अनुशंषा के आधार पर निवेदन किया गया।

B. विश्वविद्यालय के **पत्र क. 14822 दि. 25.10.2018** द्वारा राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी (UTB) आधार पर कार्यरत **डॉ. गरिमा चौधरी**, सहायक आचार्य (डेंटल एनाटॉमी) की 06 माह की कार्य समयावधि दिनांक 25.10.2018 को समाप्त होने के उपरान्त आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति/अनुमति विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर प्रदान की गई। इसके पश्चात राज्य सरकार के पत्र दि. 23.07.2019 की अनुपालना में पुनः विश्वविद्यालय के **पत्रांक 11400 दि. 03.09.2019** द्वारा डॉ. गरिमा चौधरी की कार्यावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

C. विश्वविद्यालय के **पत्र क. 14828 दि. 25.10.2018** द्वारा राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी (UTB) आधार पर कार्यरत **डॉ. सिद्धार्थ मंगल**, सहायक आचार्य (डेन्टल एनाटॉमी) की 02 वर्ष की कार्य समयावधि दिनांक 22.10.2018 को पूर्ण होने के उपरान्त राज्य सरकार से प्राप्त आदेश क्र. 5615 दि. 23.10.2018 के क्रम में आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाये जाने की अनुमति विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर प्रदान की गई।

इसके उपरान्त राज्य सरकार के पत्र दि. 26.06.2019 की अनुपालना में विश्वविद्यालय के **पत्रांक 6132 दि. 04.07.2019** द्वारा पुनः डॉ. सिद्धार्थ मंगल की कार्यावधि दिनांक 22.04.2019 से आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

D. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) के प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर विश्वविद्यालय के **पत्र क. 15691 दि. 31.10.2018** द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत विभिन्न **13 शैक्षणिक कार्मिकों** की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 03 माह तक या संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

E. विश्वविद्यालय के **पत्र क. 15699 दि. 31.10.2018** द्वारा अति. निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार को राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत विभिन्न **9 चिकित्सक शिक्षकों** की कार्यावधि आगामी 03 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया।

F. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 10.03.2016 के टेबल एजेण्डा 03 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय हेतु नियुक्त **डॉ. नेहा सैनी,** सहायक आचार्य (Periodontics) द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर (DOJ-19.10.2016; Probation Completed on 18.10.2018) तथा प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय की सन्तोषप्रद कार्य रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19.10.2018 से नियमित करते हुये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अन्तर्गत निर्धारित वेतनमान प्रदान किये जाने की स्वीकृति वि.वि. के कार्यालय आदेश क्र. 19471 दि.24.12.2018 द्वारा प्रदान की गई।

G. विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्र. **19918 दि. 01.01.2019** द्वारा **श्री सुशील कुमार,** वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलॉजी विभाग, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2018 के अनुसार राज.स्वा.वि.वि., जयपुर के अन्तर्गत गाईड डॉ. लोकेन्द्र शर्मा, आचार्य, फार्माकोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के मार्गदर्शन में पी.एचडी. पाठ्यक्रम (Ph.D Course) करने हेतु 02 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय से दिनांक 01.01.2019 (मध्यहान पश्चात्) कार्यमुक्त किया गया। श्री सुशील कुमार, वरिष्ठ प्रदर्शक को उक्त पाठ्यक्रम हेतु 02 वर्ष की समयावधि के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी नियम 37 के प्रावधानान्तर्गत गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत की गई।

H. विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्र. **20570 दि. 11.01.2019** द्वारा **डॉ. अभिषेक शर्मा,** सहायक आचार्य, कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री विभाग, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2018 के अनुसार एम्स, ऋषिकेश से पी.एचडी. पाठ्यक्रम (Ph.D Course) पूर्ण करने हेतु 02 वर्ष के लिए इस विश्वविद्यालय से दिनांक 19.01.2019 (मध्यहान पश्चात्) कार्यमुक्त किया गया। डॉ. अभिषेक शर्मा, सहायक आचार्य को उक्त पाठ्यक्रम हेतु 02 वर्ष की समयावधि के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी नियम 37 के प्रावधानान्तर्गत गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत की गई।

I. निदेशालय चि.शि., राज. सरकार से प्राप्त पत्रांक 50 दि. 03.01.2019 के क्रम में विश्वविद्यालय के **पत्र क्र. 20355 दि. 09.01.2019** द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/ अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत विभिन्न **09 शैक्षणिक कार्मिकों** की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 03 माह तक या संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

J. निदेशालय चि.शि., राज. सरकार से प्राप्त पत्रांक 50 दि. 03.01.2019 के क्रम में विश्वविद्यालय के **पत्र क्र. 20363 दि. 09.01.2019** द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/ अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत विभिन्न **24 शैक्षणिक कार्मिकों** की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

K. विश्वविद्यालय के **पत्र क्र. 20348 दि. 09.01.2019** द्वारा राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी (UTB) आधार पर कार्यरत **डॉ. अंकिता अग्रवाल,** वरिष्ठ प्रदर्शक की 01 वर्ष छः माह की कार्य समयावधि दिनांक 11.12.2018 को पूर्ण होने के उपरान्त निदेशालय चि.शि, राज. सरकार से प्राप्त पत्रांक 6471 दि. 31.12.2018 के क्रम में आगामी 06 माह अथवा इस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गई। इसके पश्चात राज्य सरकार के

पत्र दि. 23.07.2019 की अनुपालना में पुनः विश्वविद्यालय के **पत्रांक 11400 दि. 03.09. 2019** द्वारा डॉ. अंकिता अग्रवाल की कार्यावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

L. विश्वविद्यालय के **पत्र क. 21323 दि. 23.01.2019** द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में लैब टैक्नीशियन के रिक्त पद पर कार्यरत सेवानिवृत्त कार्मिक **श्री रमेश चन्द गुप्ता** की कार्य समयावधि उनकी अन्तिम कार्यावधि दिनांक 26.06.2018 से आगामी 06 माह के लिए विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर प्रदान की गई।
तत्पश्चात वि.वि. के अन्य पत्रांक **25998 दि. 29.03.2019** द्वारा भी **श्री रमेश चन्द गुप्ता** की कार्य समायावधि उनकी अन्तिम कार्यावधि दिनांक 26.12.2018 से आगामी 03 माह के लिए विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर प्रदान की गई।

M. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) के प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर विश्वविद्यालय के **पत्र क. 21844 दि. 30.01.2019** द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत विभिन्न **13 शैक्षणिक कार्मिकों** की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 03 माह (कुछ प्रकरणों में 6 माह) तक या संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

N. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21915/2018 डॉ. दीपक शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेशांक एफ–2( )संस्थापन–।।/ राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2017–18/1440 दिनांक 17.04.2018 में क्रम संख्या 03 पर वर्णित चिकित्सक शिक्षक डॉ. चन्द्रजीत सिंह चन्देल, ट्यूटर (एनाटॉमी) को पातेय वेतन पर सहायक आचार्य (एनाटॉमी) के पद पर कार्यव्यवस्थान्तर्गत कार्य करने के आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त चिकित्सक शिक्षक के स्थान पर **डॉ. दीपक शर्मा**, ट्यूटर (एनाटॉमी) को पातेय वेतन पर सहायक आचार्य (एनाटॉमी) के पद पर कार्यव्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने हेतु वि.वि. के कार्यालय आदेश **क. 652 दि. 12.04.2019** द्वारा निर्देशित किया गया।

O. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) के प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर विश्वविद्यालय के **पत्र क. 1475 दि. 30.04.2019** द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत डॉ. दिव्या शेखावत, व. प्रदर्शक (पैथोलॉजी) की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 03 माह तक या संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त समस्त प्रकरणों पर प्रबन्ध मण्डल की **कार्योत्तर स्वीकृति** प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव में वर्णित प्रकरणों पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि यू.टी.बी. प्रकरणों में सेवा अवधि विस्तार की कार्यवाही यदि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार के आदेशानुसार की जाती है तो इस संबंध में प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों का निस्तारण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से किया जावे।**

बैठक में उपस्थिति अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार की प्रतिनिधि सदस्य (संयुक्त सचिव, वित्त–व्यय) द्वारा सुझाव दिया गया किय विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल/अस्थाई आधार की नियुक्तियों (UTB) की प्रक्रिया न्यूनतम रूप में अपनाई जावे तथा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित

सेवानियमों के अनुमोदन होने के उपरान्त नियमानुसार रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु ही यथासम्भव कार्यवाही की जावे। विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल/अस्थाई आधार पर की जाने वाली नियुक्तियॉं (UTB) निर्धारित अवधि अधिकतम 1 वर्ष *(प्रथमतः 6 माह वि.वि. स्तर पर नियुक्ति, फिर आवश्यकता होने पर वि.वि. स्तर से आगामी छः माह तक सेवा अवधि विस्तार)* **तक ही सीमित रखी जावें।**

बैठक में उपस्थित अति. निदेशक (प्रशा.), निदेशालय–चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि किसी भी यू.टी.बी. नियुक्ति प्रकरण में निरन्तरता अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होवे इस बिन्दु को आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। यू.टी.बी. नियुक्ति का 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि संबंधित पद को यू.टी.बी. से भरा जाना आवश्यक समझा जाता है तो उस पद पर नवीन यू.टी.बी. नियुक्ति निर्धारित प्रकिया (वॉक–इन–इन्टरव्यूह) के तहत पुनः आवेदन प्राप्त किये जाकर की जावे।

बिन्दु सं 45 राज्य के अधीन बोर्ड/निगम/स्वायत्ताशार्षी संस्थाओं के ग्रेड पे रू 3600 या इससे कम ग्रेड पे के अधीनस्थ सेवाओं मंत्रालयिक सेवाओं के पदों की भर्ती राजस्थान चयन बोर्ड, जयपुर के कराये जाने के सम्बन्ध में।

राज्यपाल सचिवालय, राजभवन जयपुर के पत्र कमांक एफ. 1(ए)(4)आरबी/2019/3133 दिनांक 16.04.2019 द्वारा 3600 या इससे कम ग्रेड पे पदों की भर्ती किये जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया है।

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक प. 17(14)कार्मिक/क–2/2014 दिनांक 09.09.2016 द्वारा राज्य के अधीन बोर्ड/निगम/स्वायत्ताशार्षी संस्थाओं के ग्रेड पे रू. 3600 या इससे कम ग्रेड पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों की भर्ती राजस्थान चयन बोर्ड, जयपुर से कराये जाने के संबंध में शर्ते निर्धारित करते हुये कराये जाने हेतु परिपत्र जारी किया गया है।

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के जारी परिपत्र दिनांक 09.09.2016 के कम में राजस्थान चयन बोर्ड से राज्य के अधीन बोर्ड/निगम/अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं में 3600 या इससे कम ग्रेड पे के पदों की भर्ती किये जाने के संबंध में राज्यपाल सचिवालय, राजभवन द्वारा वित्त विभाग से टिप्पणी चाही गई।

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र द्वारा प. 4(1)वित्त/नियम/2018 जयपुर दिनांक 03.04.2019 द्वारा राजभवन को "राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय में रू. 3600 या इससे कम ग्रेड पे के पदों पर भर्ती में पारदर्शिता के दृष्टिगत भर्ती राजस्थान चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से की जानी चाहिए" की सलाह दी गई है।

राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के उक्त पत्र द्वारा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उक्त दी गई सलाह पर यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है, उक्त प्रकरण पर राज्यपाल सचिवालय के निर्देशानुसार यथोचित कार्यवाही किये हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 09.09.2016 के परिपेक्ष्य में राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर द्वारा प्रदान की गई सलाह के दृष्टिगत भर्ती प्रकिया में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु ग्रेड पे रू. 3600 या इससे कम ग्रेड पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों की भर्ती राजस्थान चयन बोर्ड, जयपुर से कराये जाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मिति से लिया गया।**

सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियमों में ग्रेड पे रू. 3600 या इससे कम ग्रेड पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों की भर्ती की प्रकिया निर्धारित है, अतः ऐसी परिस्थिति में प्रस्तावित नियमों में भी संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। विचार–विमर्श उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय सेवानियमों में निहित ग्रेड पे रू. 3600 या इससे कम ग्रेड पे के अधीनस्थ सेवाओं

और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती किये जाने हेतु सर्वप्रथम राजस्थान चयन बोर्ड, जयपुर से लिखित में स्वीकृति प्राप्त की जावे। राजस्थान चयन बोर्ड, जयपुर से स्वीकृति प्राप्त होने पर तदानुसार वि.वि. के प्रस्तावित भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया अपनाते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावे।

यह भी चर्चा की गई कि विश्वविद्यालय के संचालन हेतु विभिन्न अशैक्षणिक पद वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय तात्कालिक परिस्थितियों व कार्यभार के दृष्टिगत स्वीकृत किये गये थे। तत्समय विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या सीमित थी एवं विश्वविद्यालय को कोई भी संघटक महाविद्यालय नहीं था। वर्तमान में राज.स्वा.वि.वि. के लगभग 250 महाविद्यालय सम्बद्ध है एवं तीन संघटक महाविद्यालय एवं इनसे संलग्न चिकित्सालय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। विश्वविद्यालय के वर्तमान कार्यभार के दृष्टिगत वर्ष 2006 में स्वीकृत पदों पर नियुक्त अशैक्षणिक कार्मिकों से सम्पादित कराये जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। सदन को यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न 64 अशैक्षणिक पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कराया गया था, परन्तु उन पदों में से केवल 2 पद (उप कुलसचिव) ही स्वीकृत किये गये हैं।

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया विश्वविद्यालय के वर्तमान कार्यभार के दृष्टिगत प्रशासनिक संरचना में निहित विभिन्न अशैक्षणिक पदों के प्रस्ताव को पुनः राज्य सरकार को (पूर्वानुसार) प्रेषित किया जावे। इस संबंध में बैठक में उपस्थित सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार को भी यह निवेदन किया गया कि विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से अतिशीघ्र कार्यवाही कराते हुए इन पदों के सृजन एवं पदों को भरे की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विश्वविद्यालय को प्रदान करावें ताकि विश्वविद्यालय का दिन–प्रतिदिन का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो सके।

बिन्दु सं 46 विश्वविद्यालय में उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने के कार्य की समयावधि बढाये जाने की कार्योतर स्वीकृति के संबंध में :–

विश्वविद्यालय में उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु फर्म M/s Karni Kehar Security Co-operative Society Pvt. Ltd., 268, officers campus, Vishnu marg, sirsi road, khatipura, Jaipur के साथ विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अनुबन्ध की समयावधि विश्वविद्यालय क्रय समिति की बैठक दिनांक 05.02.2019 में निविदा की शर्त संख्या 1 के अनुसार एवं फर्म द्वारा प्रस्तुत सहमति के आधार पर अनुबन्धित फर्म M/s Karni Kehar Security co-operative society ltd. के मध्य हुए अनुबन्ध को एक वर्ष (फरवरी–2020) तक बढाये जाने का निर्णय लिया गया है। निविदा की शर्त संख्या 1 निम्नानुसार है:–

"निविदा दो वर्षो के लिए आमंत्रित की गयी है, सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानुसार अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से नियमानुसार और बढाई जा सकती है।"

विश्वविद्यालय क्रय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 24727 दिनांक 08.03.2019 के द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुबन्ध की अवधि पूर्व में जारी कार्यादेश की निरन्तरता में एक वर्ष (फरवरी 2020) अथवा नवीन निविदा जारी होने तक समयावधि बढाये जाने हेतु M/s Karni Kehar Security Co-operative Society Pvt. Ltd. को स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा **कार्योतर स्वीकृति** प्रदान की जानी अपेक्षित है।

निर्णय : प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।

बिन्दु सं 47 **बार कोडेड उत्तर पुस्तिकाओं की प्रिंटिंग एवं सप्लाई हेतु दर संविदा की समयावधि में की गई वृद्धि के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति :–**

विश्वविद्यालय की निविदा सं. 2765 दि. 12.05.2015 के उपरान्त वि.वि. के पत्रांक 8790 दि. 11.08.2018 द्वारा मै. माणक चन्द राजेन्द्र कुमार, जयपुर को बार कोडेड उत्तरपुस्तिकाओं की प्रिंटिंग एवं सप्लाई हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त दर संविदा की निरन्तरता में निविदा की शर्तानुसार एवं फर्म द्वारा दिये गये सहमति पत्र दि. 16.11.2018 के तहत उक्त कार्य की समयावधि को आगामी 12 (10 अगस्त, 2019) अथवा नवीन निविदा जारी होने तक वि.वि. के पत्रांक 17178 दि. 27.11.2018 द्वारा बढाया गया। वि.वि. द्वारा बार कोडेड उत्तर पुस्तिकाओं की प्रिंटिंग एवं सप्लाई हेतु दर संविदा की समयावधि में की गई उपरोक्त वृद्धि की **कार्योत्तर स्वीकृति** हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

बिन्दु सं 48 **विश्वविद्यालय के FOR THE RATE CONTRACT REGARDING PREPARATION OF ANSWER BOOKS INCLUDING CODING WORK (OUTSOURCING) कार्य के लिए अनुबन्ध हेतु आदेश जारी करने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में FOR THE RATE CONTRACT REGARDING PREPARATION OF ANSWER BOOKS INCLUDING CODING WORK (OUTSOURCING) कार्य हेतु आप द्वारा प्रस्तुत दरें नेगोसियेशन के उपरान्त विश्वविद्यालय क्रय समिति द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित की गयी है :–

S.No.	Preparation of Answer Books & Coordination in data processing work	Rate per unit/ Answer book
1	Preparation of Answer Books for Main & Remanded examinations (as per the instructions)	Rs. 4.94 (GST Extra)
2	Preparation of Answer Books for Revaluation & Re-totaling (as per the instructions)	Rs. 6.05 (GST Extra)
3	Preparation of Answer Books for the disbursement of photocopy under R.T.I. applications. (as per the instructions)	Rs. 26.65 (GST Extra)

निविदा शर्तों /दरों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं उपरोक्त कार्य की सुरक्षित राशि रू. 2,20,000/– (अक्षरे राशि रू. दो लाख बीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय कोष में नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाते हुए रू. 11,000/– (अक्षरे राशि रू. ग्यारह हजार मात्र) के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा **M/s Micronic Infotech Services Pvt Ltd.,** 444/10 Opp. Kamala Nehru T.B. Hospital, Jaipur Road, Ajmer. को प्रेषित पत्र की **कार्योत्तर स्वीकृति** हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जा सकता है, अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही निर्णय लिया जावे।**

जिन प्रकरणों में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। उनमें वित्त विभाग, राज. सरकार की सैद्धान्तिक सहमति नहीं समझी जावें।

बिन्दु सं 49 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के तृतीय प्रोफेशनल एम.बी.बी.एस. पार्ट–2 पाठ्यक्रम (बैच 2014) में उत्तीर्ण विद्यार्थियों तथा पी.जी. (मेडिकल–एम.डी.) रेजीडेन्ट्स को दिये जाने वाले स्टाईपेंड के संबंध में:–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पत्रांक 4668 दि. 21.06.2019 द्वारा विश्वविद्यालय की वित्त समिति हेतु विभिन्न एजेण्डा बिन्दु प्रेषित किये गये थे। उक्त पत्र में वर्णित प्रस्तावों के अन्तर्गत राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के वित्तीय वर्ष

2019–20 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन 43वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 के एजेण्डा बिन्दु सं. 11 में किया गया है, जिसका अंतिम अनुमोदन वर्तमान में प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जाना शेष है।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 के एजेण्डा बिन्दु 11 में महाविद्यालय के बजट प्रस्ताव 2019–20 के अन्तर्गत वेतन मद में कुल राशि रू. 3500 लाख स्वीकृत किये गये है। आपके संदर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रस्तुत विस्तृत विवरण में यह उल्लेखित किया गया है कि वेतन मद में प्रस्तावित बजट राशि में महाविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन के अतिरिक्त एम.बी.बी.एस. के 100 छात्रों को इन्टर्नशिप के दौरान दिये जाने वाले स्टाईपेंड (राशि रू. 84.00 लाख) तथा पी.जी. मेडिकल (एम.डी./एम.एस.) के रेजीडेन्ट्स को दिया जाने वाला स्टाईपेंड (राशि रू. 1,35,47,520/–) भी सम्मिलित है।

अतः महाविद्यालय से प्राप्त बजट प्रस्ताव 2019–20 के वेतन मद में वित्त समिति के अनुमोदन दि. 24.06.2019 के उपरान्त राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के तृतीय प्रोफेशनल एम. बी.बी.एस. पार्ट–2 पाठ्यक्रम (बैच 2014) में उत्तीर्ण विद्यार्थियों तथा पी.जी. (मेडिकल–एम.डी.) रेजीडेन्ट्स को दिये जाने वाले स्टाईपेंड के संबंध में प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

तृतीय प्रोफेशनल एम.बी.बी.एस. पार्ट–2 पाठ्यक्रम (बैच 2014) :

इन छात्रों को स्टाईपेंड चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्र. F.7(96)DME/Acd./2015 जयपुर दि. 01.12.2017 के अनुसार **राशि रू. 7000/– प्रतिमाह** प्रति छात्र दिया जावेगा। इन छात्रों को किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता (DA) देय नहीं होगा।

पी.जी. (मेडिकल–एम.डी.) रेजीडेन्ट्स (सत्र 2019–20)

विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 11.06.2019 के एजेण्डा बिन्दु सं. 2 में लिये गये निर्णय के अनुसार पी.जी. मेडिकल कोर्सेज में अध्ययन करने वाले छात्रों को राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में **राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाईपेंड** के समान ही स्टाईपेंड दिया जाना है।

अतः वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 तथा विद्या–परिषद के बैठक दिनांक 11.06.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में यू.जी. व पी.जी. मेडिकल छात्रों के उपरोक्तानुसार स्टाईपेंड दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में एम.बी.बी.एस. की इन्टर्नशिप करने वाले तथा पी.जी. (मेडिकल–एम.डी.) रेजीडेन्ट्स को राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों हेतु निर्धारित स्टाईपेंड वित्त विभाग, राज. सरकार की सहमति के पश्चात दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।**

बिन्दु सं 50 राजकीय सेवा से विश्वविद्यालय सेवा में समायोजित हुए दंत चिकित्सक शिक्षकों की राज्य सरकार के डीएसीपी/डीपीसी नियमों के तहत पदोन्नति किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निणयार्थ।

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.08.2011 के तहत राजकीय दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को इस विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना के क्रम में निम्नांकित दंत चिकित्सक शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर उनका राजकीय सेवा से विश्वविद्यालय सेवा में समायोजन (Absorption) किया गया है :–

क्र.सं.	दंत चिकित्सक शिक्षक का नाम एवं पदनाम	वि.वि. में समायोजन दिनांक
01	डॉ. शर्मिष्ठा विजय, सहायक आचार्य	10/10/2012
02	डॉ. शाहिना परवेज, सहायक आचार्य	10/10/2012
03	डॉ. मनोज कुमार अग्रवाल, सहायक आचार्य	31/03/2012

04	डॉ. विनय कुमार, सहायक आचार्य	17/06/2016
05	डॉ. संकल्प मित्तल, सहायक आचार्य	17/06/2016
06	डॉ. वन्दना करारिया, वरिष्ठ प्रदर्शक	17/06/2016
07	डॉ. कमल कुमार मीणा, वरिष्ठ प्रदर्शक	17/06/2016
08	डॉ. रत्नेश कुमार जायसवाल, वरिष्ठ प्रदर्शक	11/11/2016

वर्तमान में विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवा नियमो एवं स्टेट्यूटस के अनुमोदन की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। राजकीय सेवा से विश्वविद्यालय सेवा में समायोजित हुए उक्त दंत चिकित्सक शिक्षकों की राज्य सरकार के डीएसीपी/डीपीसी नियमों के तहत विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति किये जाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. सरकार को विश्वविद्यालय का पत्रांक 21987 दिनांक 29.01.2019 प्रेषित किया गया।

विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार का संदर्भित पत्रांक प्राप्त हुआ है। उक्त पत्रानुसार चूंकि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्वयं के सेवा नियम नही है। अतः जब तक राज.स्वा.वि.वि. के स्वयं के सेवा नियम जारी नही हो जाते है, राज.स्वा.वि.वि. राज्य सरकार के प्रचलित नियमों (राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962) के प्रावधानान्तर्गत समायोजित दंत चिकित्सक शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार डीएसीपी/डीपीसी के तहत पदोन्नति देने के संबंध में स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निर्देशानुसार राज्य सरकार के उक्त पत्र के क्रम में राजकीय सेवा से विश्वविद्यालय सेवा में समायोजित हुए उक्त दंत चिकित्सक शिक्षकों की राज्य सरकार के प्रचलित नियमों (राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962) के प्रावधानान्तर्गत डीएसीपी/डीपीसी के तहत पदोन्नति किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **राजकीय सेवा से विश्वविद्यालय सेवा में समायोजित हुए उक्त दंत चिकित्सक शिक्षकों की राज्य सरकार के प्रचलित नियमों (राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962) के प्रावधानान्तर्गत डीएसीपी/डीपीसी के तहत पदोन्नति किये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई। राज्य सरकार के नियमानुसार डीएसीपी/डीपीसी हेतु गठित चयन समिति के माध्यम से ही कराये जाने का निर्णय भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया। उक्त पदोन्नति प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वरिष्ठता को ही आधार माना जावेगा।**

बिन्दु सं 51 डॉ. गौरव शर्मा, सहायक आचार्य (निश्चेतन) के पे–प्रोटेक्शन के संबंध में :–

संदर्भ : चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार का पत्रांक प.01(77)एमई/ग्रुप–1/2013 जयपुर दिनांक 06.08.2019

डॉ. गौरव शर्मा सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में सहायक आचार्य, एनेस्थिसिया के पद पर नियमित रूप से कार्यरत थे। डॉ. शर्मा द्वारा राज्य सरकार से लियन पर इस विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर सह–आचार्य, एनेस्थिसिया के पद पर दिनांक 12.01.2016 से 19.12.2018 तक नियुक्त रहे।

इस क्रम में उल्लेख है कि पूर्व में निदेशालय को विश्वविद्यालय का पत्रांक 193 दिनांक 02.04.2019 प्रेषित कर राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए विश्वविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्त डॉ. गौरव शर्मा का वेतन संरक्षण किये जाने के संबंध में वित्त (नियम) विभाग, राज. सरकार की राय से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में निदेशालय का पत्रांक 2144 दिनांक 10.05.2019 प्राप्त हुआ।

उक्त पत्रानुसार उक्त समग्र प्रकरण का स्थानीय वित्त शाखा द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में भुगतान आपके स्तर से ही किया जाना है। अतः इस प्रकरण में वित्त विभाग की अशासकीय टीप दिनांक 21.09.2011 के अनुसार वेतन संरक्षण के संबंध में कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

वित्त (नियम) विभाग, राज. सरकार की अशासकीय टीप दिनांक 21.09.2011 के अनुसार –

"A Candidate who is already in regular service in the State Government of PSU/Board/Local Authority/Institution if selected on any post by <u>direct recruitment</u> in any other PSU/Board/Local Authority/Institution or if selected in another post in same PSU/Board/Local Authority/Institution may be given this option to get fixed remuneration of the new post or pay of the provious post held in State Government/PSU/Board/Local Authority/Institution whichever is beneficial. During the period of probation provided that the pay paid to him/her shall not be more than the pay that he/she would be entitiled to draw on the day of joining the new post had he/she joined the new post on the date that he/she joined the old post. After successful completion of probation period his/her may be fixed as per rules treating him as an existing employees."

साथ ही शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राज. सरकार के पत्र दिनांक 03.01.2012 जो परीविक्षाकाल में स्थिर वेतन पर नियुक्ति एवं परीविक्षाकाल अवधि में कार्य करने पर परीविक्षा की कार्य अवधि को सेवा अवधि मानने के संबंध में है, के अनुसार –

"वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 द्वारा सभी राजकीय विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/बोर्डो/स्थानीय निकायों/संस्थाओं में नवीन नियुक्त होने वाले कार्मिकों को 02 साल में परीविक्षाकाल पर स्थिर वेतन पर नियुक्त करने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये थे। वित्त विभाग द्वारा अ0शा0 टीप दिनांक 21.09.2011 द्वारा इस संदर्भ में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राजकीय विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/बोर्डो/स्थानीय निकायों/संस्थाओं में एक से दूसरे संस्थान में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को यह अवसर प्रदान किया जावे कि वे अपनी परीविक्षा अवधि के दौरान समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परीविक्षा अवधि के लिए संबंधित संवर्ग हेतु निर्धारित पारिश्रमिक अथवा जिस संस्थान में कार्यरत रहने के पश्चात नवीन पद पर नियुक्त होने पर अपने पूर्व पद पर मिल रहे वेतन को परीविक्षा अवधि के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त कर सकते है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.04.2011 द्वारा सभी सेवा नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया है कि कर्मचारी द्वारा परीविक्षा अवधि के दौरान किये गये कार्य का उनकी सेवा अवधि में सम्मिलित कर लिया जाये। अतः आपके विश्वविद्यालय में परीविक्षा अवधि के दौरान नियुक्त होने वाले/नियुक्त कर्मचारियों द्वारा परीविक्षा अवधि के दौरान किये गये कार्य को उनकी सेवा अवधि में सम्मिलित किया जा सकता है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग, राज. सरकार के उक्त पत्रों में की गई टिप्पणी सीधी भर्ती के माध्यम से अन्यत्र सेवा में चयनित होने वाले परीविक्षाधीन कार्मिकों के संबंध में प्रतीत होती है। **किसी नियमित राज्य कर्मचारी के किसी अन्य राजकीय विभागों/संस्थानों में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्त होने की स्थिति में उसका वेतन संरक्षित किये जाने के संबंध में कोई भी स्पष्ट प्रावधान उक्त टिप्पणियों के अन्तर्गत समाहित नही है।** यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्त कार्मिक की कोई परीविक्षा अवधि नही होती है। यह केवल अस्थायी कार्यव्यवस्था के अन्तर्गत आता है। ऐसे कार्मिकों को कभी भी कार्यमुक्त किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों के लिए पारिश्रमिक भी निर्धारित किया हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त प्रकरण के संबंध में निदेशालय के पत्रांक 6144 दिनांक 03.12.2018 के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार – ***"यूटीबी पर नियुक्त कार्मिक को वेतन संरक्षित करने संबंधित किसी प्रकार के प्रावधान का होना प्रतीत नही होता है। अतः वेतन संरक्षित नही किया जा सकता है। एक राज्य सेवा के स्थायी कर्मचारी का यूटीबी पर कार्यग्रहण किया जाना भी नियमानुसार प्रतीत नही होता है।"***

अतः वित्त (नियम) विभाग, राज. सरकार की अशासकी टीप दिनांक 21.09.2011 के क्रम में डॉ. शर्मा के विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर की

गई सेवा अवधि (दिनांक 12.01.2016 से 19.12.2018 तक) का वेतन संरक्षित (Pay Protection) कर वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु निदेशालय को विश्वविद्यालय का पत्रांक 4291 दिनांक 14.06.2019 प्रेषित किया गया। विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार का उक्त संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है उक्त पत्रानुसार डॉ. गौरव शर्मा की नियमानुसार पे–प्रोटेक्ट करते हुए गत भुगतान प्रमाण पत्र (LPC) जारी करावें किन्तु उक्त पत्र के द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान नही किया गया है कि डॉ. शर्मा की पे–प्रोटेक्ट किन नियमों के तहत की जानी है।

इस प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय की लेखा शाखा द्वारा की गई टिप्पणी अनुसार यूटीबी पर नियुक्त कर्मचारी के वेतन संरक्षण के संबंध में Specific टिप्पणी दी जा चुकी है कि यूटीबी पर नियुक्त कार्मिक के वेतन संरक्षित करने का नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नही है, स्थायी कर्मचारी को यूटीबी पर लगाना उचित नही है। निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी अपने पत्रांक 6144 दिनांक 03.12.2018 में उक्त राय व्यक्त की गई थी। पत्रावली पर प्रकरण के संबंध में प्रकटित तथ्यों से जानकारी होती है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में यूटीबी पर नियमित राजकीय कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता रहा है। आरयूएचएस में भी पूर्व में डॉ. आशा शर्मा को यूटीबी पर नियुक्त कर वेतन संरक्षित भी किया गया है तथा निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर के पत्रांक 130 दिनांक 15.02.2016 एवं 442 दिनांक 11.09.2015 के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉ. बाबूलाल शर्मा व डॉ. गोपाल लाल बंसल के प्रकरणों में वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है।

अतः निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्रांक 2144 दिनांक 10.05.2019, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के पत्र दिनांक 06.08.2019 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 12.05.2017 में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में डॉ. गौरव शर्मा के वेतन संरक्षण प्रकरण पर समान प्रकरण डॉ. आशा शर्मा के अनुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय में एम.सी.आई. के मापदण्डों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रिक्त पद को भरे जाने के दृष्टिगत डॉ. गौरव शर्मा (नियमित राजकीय कार्मिक–सहा. आचार्य, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर) को राज्य सरकार से लियन पर इस विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर सह–आचार्य, एनेस्थिसिया के पद पर नियुक्त किया गया था। यह भी अवगत कराया गया कि निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक 962 दि. 09.12.2015 द्वारा डॉ. आशा शर्मा, चिकित्सा अधिकारी के समान प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वेतन सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान की गई है।**

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि एम.सी.आई. नियमों के दृष्टिगत महाविद्यालय में पद के भरे जाने की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के समान प्रकरणों में दिये गये निर्देशों को आधार मानते हुए डॉ. गौरव शर्मा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सह आचार्य के पद पर नियुक्ति अवधि (तत्काल/अस्थाई) के दौरान नियमानुसार वेतन संरक्षण किया जावे। साथ ही यह नीतिगत निर्णय भी लिया गया कि भविष्य में भी आवश्यकता होने पर ऐसे प्रकरण जहां वि.वि. के रिक्त पद पर राजकीय सेवा के नियमित कार्मिक को तत्काल/अस्थाई आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में एक समान नीति का निर्धारण किया जावे।

Table Agenda

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं 1 **विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों को Non-Practicing Allowance दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ :–**

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 के बिन्दु संख्या 26 में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वर्तमान में देय Non-

Practicing Allowance को वित्त विभाग, राज. सरकार के आदेशों के अनुसार Optional Non-Practicing Allowance किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय कार्यालय आदेशांक 22998 दिनांक 16.02.2019 द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक 24.04.2019 (बुधवार) को दोपहर 02:30 बजे प्रति–कुलपति महोदया, राज.स्वा.वि.वि. की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय में आयोजित की गई।
उक्त बैठक में कमेटी सदस्यों के द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.10.2017 एवं 28.06.2013 तथा प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2018 के बिन्दु संख्या 26 में ज्ञापित टीचर्स एसोसिएशन के पत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों व चिकित्सालयों में रिसर्च को बढ़ावा दिया जावे तथा रिसर्च होने से चिकित्सकों को प्रोत्साहन मिलेगा। अतः विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों व चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों का Non-Practicing Allowance लागू किया जावे परन्तु रिसर्च के क्षेत्र में अधिक कार्य नही होने से चिकित्सक द्वारा Non-Practicing Allowance ऑप्शनल रूप से राज्य सरकार की भांति रखा जावे।
पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा कुछ पद प्रेक्टिसिंग रखे गये थे तथा कुछ पद नॉन–प्रेक्टिसिंग रखे गये। पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा इसे समाप्त कर नॉन–प्रेक्टिसिंग के स्थान पर सभी को प्रेक्टिसिंग कर दिया गया हैं। संबंधित चिकित्सक शिक्षकों से राज्य सरकार द्वारा विकल्प (Option) भी मांगा जा रहा है। Non-Practicing Allowance बन्द किये जाने से विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार भी कम होगा। अतः पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को NPA का भुगतान नही किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति के समय नियुक्ति आदेश में NPA के संबंध में शर्ते रखी गई थी कि नियुक्त अभ्यर्थी को नियमानुसार नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउंस देय होगा। अतः विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को NPA का भुगतान नही किये जाने से पूर्व नियुक्ति आदेश में अंकित उपरोक्त शर्त के परिप्रेक्ष्य में विधि शाखा/विधि अधिकारी/ विश्वविद्यालय पेनल अधिवक्ता से विधिक राय लिये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वर्तमान में देय Non-Practicing Allowance को वित्त विभाग, राज. सरकार के आदेशों के अनुसार Optional Non-Practicing Allowance किये जाने के संबंध में गठित कमेटी की अनुशंषा दिनांक 24.04.2019 पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वर्तमान में देय Non-Practicing Allowance को वित्त विभाग, राज. सरकार के आदेशों के अनुसार Optional Non-Practicing Allowance किये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं 2 **निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त चिकित्सा अधिकारी के 737 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में :–**

निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 657 दिनांक 03.10.2019 द्वारा चिकित्सा अधिकारी के 737 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु अर्थना विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। उपरोक्त पत्र के द्वारा प्राप्त अर्थना में अंकित शर्तोनुसार चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति विश्वविद्यालय स्तर से जारी कर शीघ्र भर्ती की कार्यवाही कराते हुये योग्य/चयनित/अचयनित अभ्यर्थियों की सूची वरीयतानुसार अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.09.2019 को आयोजित बैठक में कुलपति एवं कुलसचिव महोदय को व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाकर निर्देशित किया गया उपरोक्त भर्ती (चिकित्सा अधिकारी–737 पद) के संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी प्रकार की भर्तियां राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से पूर्व की भांती ही भर्ती की कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू की जावे।

अतः उपरोक्त प्राप्त पत्र एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.09.2019 को आयोजित बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त अर्थना के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के 737 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही के संबंध में चर्चा एवं अग्रिम निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सा अधिकारी के 737 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त अर्थना के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम–19 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी एवं संयोजक व सह–संयोजक की नियुक्ति कर उपरोक्त वर्णित भर्ती परीक्षा आयोजित किये जाने के उपरान्त नियम–19 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से परीक्षा परिणाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं 3 **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सहायक औषधि विश्लेषक अधिकारी के 11 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही के संबंध में:–**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 04.10.2018 के माध्यम से सहायक औषधि विश्लेषक अधिकारी के 11 पदों पर भर्ती की कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय को अर्थना (पदों का विवरण, आरक्षण, वेतनमान, आयु, सेवानियम इत्यादि का विवरण) प्राप्त हुई है। पूर्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार से विभिन्न पदों पर (खाद्य विश्लेषक एवं सहायक औषधि विश्लेषक) भर्ती की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित कराने के निवेदन को विश्वविद्यालय की प्रवेश एवं भर्ती सैल की बैठक दिनांक 16.09.2017 में रखा जाकर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की उक्त भर्तियां (खाद्य विश्लेषक एवं सहायक औषधि विश्लेषक) विश्वविद्यालय के स्थान पर राज्य सरकार के स्तर पर आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

विश्वविद्यालय की प्रवेश एवं भर्ती सैल की बैठक दिनांक 18.09.2017 में लिये गये निर्णय को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.09.2017 के टेबल एजेण्डा संख्या–18 पर विचार–विमर्श हेतु रखा गया जिसमें प्रवेश एवं भर्ती सैल की बैठक दिनांक 18.09.2017 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार की अन्य कोई भी भर्ती की कार्यवाही लम्बित हो अथवा भविष्य में यदि कोई नई भर्ती हेतु निवेदन प्राप्त होता है तो विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भर्ती की कार्यवाही नहीं करने से राज्य सरकार को पत्र लिख कर अवगत कराया जावे। प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार को पत्र दिनांक 17.11.2017 द्वारा अवगत कराया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.09.2019 को आयोजित बैठक में कुलपति एवं कुलसचिव महोदय को व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाकर निर्देशित किया गया उपरोक्त भर्ती तथा चिकित्सा अधिकारी के संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी प्रकार की भर्तियां राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से पूर्व की भांती ही भर्ती की कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू किये जाने के निर्देश प्राप्त हुऐ है।

यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार सहायक औषधि विश्लेषक अधिकारी के 11 पदों पर भर्ती की कार्यवाही के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम–19 के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जा चुका है:–

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर – अध्यक्ष
2. उप–निदेशक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर – सदस्य सचिव
3. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर – सदस्य

अतः उपरोक्त प्राप्त पत्र एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.09.2019 को आयोजित बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त सहायक औषधि विश्लेषक अधिकारी के 11 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही के संबंध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त राज्य सरकार के निर्देशानुसार सहायक औषधि विश्लेषक अधिकारी के 11 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त अर्थना के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम–19 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी एवं संयोजक व सह–संयोजक की नियुक्ति कर उपरोक्त वर्णित भर्ती परीक्षा आयोजित किये जाने के उपरान्त नियम–19 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से परीक्षा परिणाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(कालू राम)
सदस्य सचिव– प्रबन्ध मण्डल एवं
कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि.,
जयपुर